राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 78वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 को 3:00 बजे डॉ. डी.एस. बल, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थेः–

1. डॉ. एम. एल. नाईक, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. श्री संजय शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेण्डा कमांक – 1 **दिनांक 05/01/2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 77वीं बैठक दिनांक 05/01/2018 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा कमांक – 2 **राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 242वीं, 243वीं एवं 244वीं बैठक क्रमशः दिनांक 26/12/2017, 27/12/2017 एवं 28/12/2017 की अनुशंसा के आधार पर खनिजों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परियोजना एवं औद्योगिक परियोजनाओं के प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

निम्नानुसार प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लिया गयाः–

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत फिगेंश्वर, ग्राम–फिगेंश्वर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (635)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन /67765/2017, यह आवेदन दिनांक 30/08/2017 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4270/ ख.नि.02 / रेत (खदान) / न.क्र.38 / 1996, नया रायपुर दिनांक 24/08/2017 के द्वारा अग्रेषित किया गया है। कमियों की पूर्ति हेतु एस.ई.आई.आई.ए. द्वारा दिनांक 07/09/2017 को पत्र लिखा गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज ऑनलाईन दिनांक 21/11/2017 को प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 864 एवं 865, ग्राम–फिगेंश्वर, नगर पंचायत फिगेंश्वर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद कुल लीज क्षेत्र 10.98 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सूखा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,97,640 घनमीटर / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. नगर पंचायत फिगेंश्वर का दिनांक 10/04/2015 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 391/ख. नि./न.क्र./2017 गरियाबंद, दिनांक 11/04/2017 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 01 अन्य रेत खदान भेण्ड्री रकबा 13 हेक्टेयर 20 मीटर की दूरी पर स्थित है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–फिगेंश्वर 02 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। विद्यालय एवं अस्पताल ग्राम–फिगेंश्वर 03 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 122 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 441 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 2,19,600 घनमीटर

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/12/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 242वीं बैठक दिनांक 26/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री अनिल चंद्राकर, अध्यक्ष, नगर पंचायत फिंगेश्वर एवं श्री हरबंश सिंह ठाकुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 391/ख. नि./न.क्र./2017 गरियाबंद, दिनांक 11/04/2017 के अनुसार आवेदित रेत

खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 01 अन्य रेत खदान भेण्ड्री रकबा 13 हेक्टेयर 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–फिगेंश्वर) का रकबा 10.98 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

3. रेत खदान भेण्ड्री को पूर्व में खसरा नं. – 673, रकबा – 13 हेक्टेयर, क्षमता–1,30,000 घनमीटर/वर्ष, 01 मीटर गहराई हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 21/07/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया।
4. राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
5. नगर पंचायत फिगेंश्वर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। सूखा नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।
7. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम एवं आसपास में श्रमिकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। अतः रोजगार की दृष्टिकोण से श्रमिकों के माध्यम से रेत का उत्खनन एवं भराई आदि कार्य कराया जावेगा। रेत उत्खनन 1,00,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक नहीं किया जावेगा।
8. **प्रस्तुत संयुक्त पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसारः–**
   - रेत खदानों में कार्यरत होने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या 35–40 होगी।
   - रेत खदान के आसपास ग्राम के निवासियों को रेत खनन कार्य से रोजगार प्रदान करते हुए प्राप्त राशि से आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य एवं स्वच्छता आदि किये जावेंगे।
   - नदी/नाला के तटों पर एवं पहुंच मार्गों पर 100 वृक्ष/वर्ष लगाया जावेगा तथा चिन्हांकित भूमि, नदी तट एवं मार्ग पर निर्देशानुसार प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जावेगा।
   - रेत ढोने वाले मालवाहकों से उत्पन्न धूल के नियंत्रण हेतु मार्ग में जल छिड़काव किया जावेगा। रेत को तालपत्री/तारपोलिन से ढ़ंककर परिवहन किया जावेगा।
   - नैसर्गिक जल प्रवाह तंत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। रेत उत्खनन में किसी भी प्रकार जल का संदूषण नहीं होगा।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया कि 02 माह के भीतर 2200 नग वृक्षारोपण नदी के तट पर किया जावेगा।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे, ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 864 एवं 865, ग्राम–फिगेंश्वर, नगर पंचायत फिगेंश्वर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद कुल लीज क्षेत्र 10.98 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 1,00,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पार्ट ऑफ खसरा नं. 864 एवं 865, ग्राम–फिगेंश्वर, नगर पंचायत फिगेंश्वर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद कुल लीज क्षेत्र 10.98 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 1,00,000 घनमीटर /वर्ष हेतु जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावे।

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

2. मेसर्स ओमेक्स मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–कोटा करगीरोड, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (652)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन/ 21186/2017, यह आवेदन दिनांक 27/11/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नम्बर 54, 55/1, 57, 58, 59, 427/2, ग्राम–कोटा करगीरोड, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर, कुल भूमि 4.58 हेक्टयर (11.30 एकड़) में अपग्रेडेशन ऑफ कोल क्रशिंग यूनिट क्षमता 0.072 मिलियन टन/वर्ष से प्रस्तावित कोल वॉशरी (वेट टाईप) क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। परियोजना में कुल विनियोग रुपये 15 करोड़ प्रस्तावित है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/12/2017 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
2. भूमि स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे।
3. प्रस्तावित ले–ऑउट प्रस्तुत किया जावे।
4. अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन के साथ कोल वॉशरी स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से चयनित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत करे।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 242वीं बैठक दिनांक 26/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री अमर अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. यह एक वेट टाईप कोल वॉशरी परियोजना है, जो हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। स्थल खसरा नम्बर 54, 55/1, 57, 58, 59 एवं 427/2, ग्राम– कोटा करगीरोड, तहसील– कोटा, जिला– बिलासपुर, कुल भूमि 4.58 हेक्टयर (11.30 एकड) में स्थित है।
2. समीपस्थ आबादी ग्राम–कोटा 250 मीटर एवं शहर बिलासपुर 24 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र ग्राम–पड़ावपारा 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। एयर स्ट्रीप करगी रोड 06 कि.मी., रेल्वे स्टेशन करगी रोड 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। घोंघा नालाा 3.5 कि.मी. एवं अरपा नदी 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
3. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है, परंतु अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित होना बताया गया है।
4. कुजेटी आरक्षित वन 4.4 कि.मी., रामचंद आरक्षित वन 6.6 कि.मी., रानीबचेली आरक्षित वन 8.3 कि.मी., लोरमी आरक्षित वन 1.8 कि.मी. एवं कंचनपुर संरक्षित वन 6.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
5. पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा कोल स्टोरेज क्षमता 25,000 मीट्रिक टन एवं कोल क्रशिंग क्षमता 72,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई थी। कोल क्रशिंग इकाई की स्थापना की गई है। वर्तमान में कोल क्रशिंग इकाई का संचालन नहीं किया जा रहा है, केवल कोयले का भंडारण किया जाता है। इसी स्थल पर अपग्रेडेशन ऑफ कोल क्रशिंग यूनिट क्षमता 0.072 मिलियन टन/वर्ष से कोल वॉशरी (वेट टाईप) क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
6. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार भूमि श्री सरजू प्रसाद मिश्रा के नाम पर है। यह भूमि श्री सरजू प्रसाद मिश्रा द्वारा 10 वर्ष अर्थात् वर्ष 2015 से वर्ष 2025 तक की अवधि हेतु मेसर्स ओमेक्स मिनरल्स

प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दी गई है। उक्त लीज रेक लोडिंग, क्रशर स्थापना, भंडारण, लाइसेंस एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु अनुबंध की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस भूमि से लगी हुई लगभग 03 एकड़ भूमि को क्रय/लीज पर लिये जाने का प्रस्ताव है।

7. प्रस्तावित ले–ऑउट प्रस्तुत किया गया है।

8. कोल वॉशरी स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह परियोजना अपग्रेडेशन ऑफ कोल क्रशिंग यूनिट क्षमता 0.072 मिलियन टन/वर्ष से कोल वॉशरी (वेट टाईप) क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष हेतु है।

9. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – मुख्य प्लांट एरिया 2.35 एकड़, रॉ–कोल स्टोरेज यार्ड 1.7 एकड़, वाश्ड कोल स्टोरेज यार्ड एरिया 0.8 एकड़, रिजेक्ट स्टोरेज एरिया 0.54 एकड़, पार्किंग एरिया 0.2 एकड़, वॉटर रिजर्वायर एण्ड रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एरिया 0.54 एकड़, सेटलिंग पॉड एरिया 0.1 एकड़, अन्य एरिया 0.27 एकड़, इन्टरनल रोड एरिया 1.0 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट एरिया 3.8 एकड़ एरिया में प्रस्तावित है। इस प्रकार परियोजना कुल एरिया 11.3 एकड़ में प्रस्तावित किया गया है।

10. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 3,200 टन/दिन उपयोग किया जायेगा। वाश्ड कोल 2,400 टन/दिन एवं रिजेक्ट्स कोल 800 टन/दिन उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. के दीपका, गेवरा, कुसमुंडा आदि खदानों से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सकड़ मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जावेगा। वॉशरी से वाश्ड कोल एवं रिजेक्ट का परिवहन रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जावेगा।

11. **जल उपयोग की मात्रा** – प्रतिदिन लगभग 210 घनमीटर/दिन (प्रोसेस हेतु 200 घनमीटर/दिन, घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर/दिन) जल खपत होगा। जल की आपूर्ति भूमिगत जल स्त्रोतों से किया जावेगा। इस हेतु सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति ली जावेगी। वर्तमान में कोल भंडारण एवं हेंडलिंग के दौरान उत्पन्न डस्ट की रोकथाम हेतु जल छिड़काव (भू–जल का उपयोग) किया जाता है।

12. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित कोल वॉशरी स्थापित किया जावेगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। प्रकिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रकिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रकिया में तथा परिसर के अंदर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल की मात्रा 08 घनमीटर/दिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

13. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में कोल क्रशर इकाई एवं कोल भंडारण / हैंडलिंग के दौरान उत्पन्न डस्ट नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। कोल वॉशरी में डस्ट उत्सर्जन बिंदुओ पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर स्थापित किया जायेगा। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सभी कन्व्हेयर सिस्टम को ढंका जायेगा।

14. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.24 मिलियन टन/वर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट को रिजेक्ट कोल आधारित पावर प्लांट को ईंधन के रुप में उपयोग करने हेतु प्रदाय किया जावेगा। साथ ही थिकनर से प्राप्त स्लज को डि–वॉटरिंग कर वॉशरी रिजेक्ट मे मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जावेगा।

15. **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

16. **ग्रीन बेल्ट** – परियोजना में कुल क्षेत्र के 33 प्रतिशत क्षेत्र अर्थात् लगभग 3.8 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। 15 से 96 मीटर चौड़ी पट्टी में परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जावेगा।

17. **विद्युत खपत** – परियोजना के ऑपरेशनल उपयोग हेतु 1.0 मेगावॉट विद्युत खपत होना प्रस्तावित है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष वेट टाईप हेतु जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि निम्न अतिरिक्त टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) को शामिल किया जावेः–

1. Lease agreement shall be amended for establishment of coal washery.
2. At least 60% of washed coal shall be transported by rail route .
3. Atleast 15 acres land shall be acquired for establishment of coal washery. Accordlingly layout shall be amended earmarking atleast 15 meter wide green belt all around the project site.
4. The documents for procurement of additional land shall be submitted.
5. Parking space for vehicles shall be increased.
6. At-least 06 meters high pucca boundary wall shall be constructed towards nearby village(s). Above boundary wall, at-least 04 meters high screen shall be provided. Rainguns of adequate capacity and numbers shall be provided for effective control of fugitive dust emission.

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार

टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जारी किये जाने वाले टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में प्रस्तावित वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों के पौधों की सूची उपलब्ध कराने एवं वृक्षारोपण की कार्ययोजना को अतिरिक्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के रूप में शामिल किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) जारी किया जावे।

3. सरपंच, ग्राम पंचायत धौराभाठा, ग्राम–भोथा, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (655)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन /71594/2017, यह आवेदन दिनांक 14/12/2017 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 8184/ख.नि.02/रेत(खदान)/न.क्र.237/2017, नया रायपुर दिनांक 14/12/2017 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 01, ग्राम–भोथा, ग्राम पंचायत धौराभाठा, तहसील – मगरलोड, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 06 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,08,000 घनमीटर/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत धौराभाठा का दिनांक 28/08/2015 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय वन मंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, धमतरी के पत्र क्रमांक 3018 धमतरी दिनांक 10/05/2016 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धमतरी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 52/खनिज/पत्रा./2017 धमतरी, दिनांक 08/02/2017 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–भोथा एवं प्राथमिक शाला, भोथा लगभग 500 मीटर एवं विद्यालय 05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। श्री राजीव लोचन मंदिर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर से अधिक
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 190 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 500 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,20,000 घनमीटर

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/12/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 243वीं बैठक दिनांक 27/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती बिमला निषाद, सरंपच एवं श्री सेवकराम साहू, सचिव, ग्राम पंचायत धौराभाटा उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि :–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धमतरी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 52/खनिज/पत्रा./2017 धमतरी, दिनांक 08/02/2017 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–भोथा) का रकबा 06 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

3. राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।

4. ग्राम पंचायत धौराभाठा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम एवं आसपास में श्रमिकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। अतः रोजगार की दृष्टिकोण से श्रमिकों के माध्यम से रेत का उत्खनन एवं भराई आदि कार्य कराया जावेगा। रेत उत्खनन 60,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक नहीं किया जावेगा।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 02 माह के भीतर 1200 नग वृक्षारोपण नदी के तट पर किया जावेगा।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे, ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके। जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 01, ग्राम–भोथा, ग्राम पंचायत धौराभाठा, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 06 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 60,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पार्ट ऑफ खसरा नं. 01, ग्राम–भोथा, ग्राम पंचायत धौराभाठा, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 06 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 60,000 घनमीटर /वर्ष हेतु जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावे।

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत लहंगर, ग्राम–खड़सा, तहसील व जिला–महासमुंद (653)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन /71513/2017, यह आवेदन दिनांक 09/12/2017 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–महासमुंद, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1636/क./रेत/न.क्र./2017, दिनांक 21/09/2017 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान खसरा नं. 01, ग्राम–खड़सा, ग्राम पंचायत लहंगर, तहसील व जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 15 हेक्टेयर में पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,000 घनमीटर/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत लहंगर का दिनांक 08/09/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) महासमुंद, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1636/क./रेत/न.क्र./ 2017, दिनांक 21/09/2017 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उप संचालक (ख. प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
6. **विगत 02 वर्षों में रेत उत्खनन की मात्रा** – दिनांक 06/11/2015 से 05/11/2016 तक रेत उत्खनन की मात्रा 28,954 घनमीटर एवं दिनांक 06/11/2016 से 05/11/2017 तक रेत उत्खनन की मात्रा 21,379 घनमीटर है। इस प्रकार कुल 50,333 घनमीटर रेत उत्खनन किया जाना बताया गया है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 243वीं बैठक दिनांक 27/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खदान खसरा नं.–01, रकबा–15 हेक्टेयर, क्षमता– 1,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 3588 दिनांक 06/11/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:–** जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट महानदी बेसिन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार औसत वार्षिक वर्षा का कैचमेंट एरिया 6,723 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 895.5 मिलीमीटर है। अतः Dendy-Bolton Formula से गणना अनुसार कैचमेंट एरिया में लगभग 3,61,061.24 टन/वर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।
4. वर्ष 2016 के पोस्ट मानसून आंकड़े एवं वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 1.5 मीटर है, जिसकी समुद्र तल से उंचाई लगभग 230 मीटर (230 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से महानदी बेसिन में रेत का पुनःभराव हो जाता है।
5. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।
6. रेत की खुदाई एवं भराई कार्यों हेतु स्थानीय श्रमिकों को वरियता दी गई।

समिति द्वारा यह नोट किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात् नदी लेवल एवं रेत पुनःभरण लेवल मापन के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि रेत उत्खनन स्थल पर पर्याप्त मात्रा में रेत का पुनःभराव हो रहा है अथवा नहीं? अतः रेत सतह के लेवल का मापन कर संशोधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को रेत उत्खनन क्षेत्र में मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात् नदी लेवल एवं रेत पुनःभरण लेवल मापन के आंकड़ों का समावेश करते हुये वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में संशोधन कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे। समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट के अभाव में प्रकरण को निरस्त/डिलिस्ट करने की अनुशंसा भी की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये परियोजना प्रस्तावक को रेत उत्खनन क्षेत्र में मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात् नदी लेवल एवं रेत पुनःभरण लेवल मापन के आंकड़ों का समावेश करते हुये वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में संशोधन कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति की अनुशंसा के आधार पर उक्त रिपोर्ट के अभाव में वर्तमान में प्रकरण को निरस्त/डिलिस्ट करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. सरपंच, ग्राम पंचायत मुड़पार, ग्राम–मुड़पार, तहसील व जिला–धमतरी (590)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 64497/2017, यह आवेदन दिनांक 05/05/2017 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 393/खनिज/पत्रा./2017 धमतरी, दिनांक 04/05/2017 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 01, ग्राम–मुड़पार, ग्राम पंचायत मुड़पार, तहसील व जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 10 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,80,000 घनमीटर / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत मुड़पार का दिनांक 29/01/2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 393/खनिज/पत्रा./2017 धमतरी, दिनांक 04/05/2017 के अनुसार आवेदित

रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा., संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–मुड़पार 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर से अधिक
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 260 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 775 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 2,00,000 घनमीटर
8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** :– इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 11/05/2017 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 226वीं बैठक दिनांक 16/05/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती मीना यादव, सरपंच एवं श्री राममिलन, सचिव, ग्राम पंचायत मुड़पार तथा श्री मिदुल गुहा, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि रेत खदान में कई पिट्स खुदवाकर रेत उपलब्धता की गहराई नापी गई, जो औसत 3.0 मीटर पायी गई।
2. सरपंच / सचिव द्वारा बताया गया कि ग्राम एवं आसपास में श्रमिकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। अतः रोजगार की दृष्टिकोण से श्रमिकों के माध्यम से रेत का उत्खनन एवं भराई आदि कार्य कराया जावेगा।
3. आवेदित खदान की सीमा से रूद्री बैराज लगभग 500 मीटर दूर स्थित है। आवेदित खदान रूद्री बैराज के डाउन स्ट्रीम में स्थित है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान सरपंच/सचिव द्वारा बताया गया कि गांव में नदी तटों एवं पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण पूर्व से ही है। अतः ग्राम में शमशान घाट के किनारे एवं गांव में अन्य रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जावेगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि रूद्री बैराज खदान के समीप स्थित होने के कारण रेत उत्खनन से रूद्री बैराज को किसी प्रकार की कोई क्षति होने अथवा नहीं होने संबंध में जल संसाधन विभाग को पत्र लिखकर जानकारी

एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाया जावे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि एक सदस्यीय उपसमिति श्री एन.आर. यादव, सदस्य, एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ द्वारा स्थल निरीक्षण / जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे, जिसके आधार पर प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंधन संभाग रूद्री, कोड न. 38, जिला–धमतरी द्वारा खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा), धमतरी को निम्न शर्तो के अधीन रेत उत्खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 08/11/2017 को जारी किया गया है:–

1. नक्शा में चिन्हाकिंत क्षेत्र के अंदर न्यू रुद्री बैराज से 500 मीटर के बाद में रेत उत्खनन किया जावे।
2. नदी तट के दोनों पर एवं वृक्षों को क्षति न पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जावे।
3. रेत उत्खनन के समय किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
4. शासन के दिशा निर्देश खनिज उत्खनन के नियमों का पालन किया जावे।
5. प्रस्तावित क्षेत्र जल संसाधन विभाग के अधिपत्य में रहेगा।
6. न्यू रुद्री बैराज पुल के ऊपर से एवं आस–पास के क्षेत्र से रेत की ढुलाई एवं परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
7. शासन के नियमों / ऊपर उल्लेखित शर्तो के उल्लंघन करने पर अनापत्ति पत्र निरस्त की जा सकेगी।
8. उत्खनन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति जारी होने के पश्चात् अनुमति की नक्शा खसरा क्षेत्र सहित इस विभाग को प्रदाय की जाना सुनिश्चित हो।

खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा), जिला–धमतरी द्वारा पत्र क्रमांक 1068 दिनांक 24/11/2017 के द्वारा उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ प्रेषित किया गया।

एक सदस्यीय उपसमिति श्री एन.आर. यादव, सदस्य, एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 11/07/2017 को किया गया। स्थल निरीक्षण / जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 27/12/2017 को प्रस्तुत किया। रेत उत्खनन स्थल एवं आसपास का निरीक्षण करने पर निम्न तथ्यों का अवलोकन किया गया:–

1. बैराज के बायें तरफ का एपरान उखड़ा देखा गया।
2. रो–वॉल के नीचे लगे पत्थर भी बहे हुये, देखे गये।
3. स्थल पर झण्डी लगाकर जहॉ से रेत खदान शुरु होता है, वहॉ तक की दूरी लगभग 500 मीटर है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 243वीं बैठक दिनांक 27/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 393/खनिज/पत्रा./2017 धमतरी, दिनांक 04/05/2017 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–मुड़पार) का रकबा 10 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत मुड़पार का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे, ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 01, ग्राम–मुड़पार, ग्राम पंचायत मुड़पार, तहसील व जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 10 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 1,00,000 घनमीटर /वर्ष हेतु तथा जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों के पालन के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पार्ट ऑफ खसरा नं. 01, ग्राम–मुड़पार, ग्राम पंचायत मुड़पार, तहसील व जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 10 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 1,00,000 घनमीटर /वर्ष हेतु तथा जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों के पालन के अधीन जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावे।

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

6. मेसर्स मोहरेंगा लाईम स्टोन माईन (श्री योगेन्द्र वर्मा), ग्राम–मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (620)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 66814/2017, यह आवेदन दिनांक 18/06/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने के कारण परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 28/07/2017 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 15/08/2017 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 786/1 एवं 489, ग्राम–मोहरेंगा एवं खसरा नं. 738, 739, ग्राम–खौलीडबरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 4.527 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 27,500 टन/वर्ष है। शासकीय भूमि 2.021 हेक्टेयर एवं निजी भूमि 2.506 हेक्टेयर है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. ग्राम पंचायत मोहरेंगा द्वारा दिनांक 26/01/2004 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. रीव्यू ऑफ माईनिंग एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक 1093/चूप/खयो/2017/रायपुर दिनांक 23/05/2017 (अवधि 2017–18 से 2020–21 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायपुर के पत्र क्रमांक 649/ख.लि./तीन–6/2017 रायपुर, दिनांक 05/09/2017 के अनुसार शासन द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में कुल 01 खदान, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट रकबा 689.648 हेक्टेयर क्षेत्र पर सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–मोहरेंगा 1.2 कि.मी. एवं ग्राम–खौलीडबरी 2.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–मोहरेंगा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल खरोरा 5.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.6 कि.मी. एवं राज्य मार्ग 36 कि.मी. है। सीजनल नाला 1.5 कि.मी. दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. **लीज डीड की जानकारी:–** लीज डीड श्री योगेंद्र वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् 19/11/2007 से 18/11/2037 तक की अवधि हेतु वैध है।
4. माईनेबल रिजर्व 1,63,499 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई लगभग 05 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 05 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 5.94 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 05 कि.ली./दिन है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा।
5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 30/08/2017 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया:–

1. पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान (खदान से उत्खनन प्रारंभ के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान) की प्रति प्रस्तुत किया जावे। साथ ही समय–समय पर अनुमोदित स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान/ मॉडिफाइड माईनिंग प्लान/प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान की प्रति प्रस्तुत करें।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन से भिन्न क्या माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी किसी भी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जावे। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दिया जावे।
3. भू–प्रवेश अनुमति की प्रति एवं उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
4. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे। साथ ही क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में प्रस्तुत रिटर्न की प्रति (अद्यतन स्थिति में) प्रस्तुत किया जावे।
5. यह स्पष्ट किया जावे कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 234वीं बैठक दिनांक 07/09/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री योगेंद्र वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 30/08/2017 में वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/09/2017 के द्वारा सूचना दिया गया कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः अनुरोध किया गया कि प्रकरण पर प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि निर्धारित करने हेतु विचार किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/10/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 237वीं बैठक दिनांक 12/10/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. पूर्व में वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक की अवधि हेतु मॉडिफाईड प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान दिनांक 13/04/2016 को अनुमोदित किया गया है, जिसके अनुसार वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

06 वर्षों में उत्खनन की वर्षवार मात्रा

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2012–13	निल	4,728.78

2013–14	निल	निल
2014–15	निल	50
2015–16	29,000	10
2016–17	29,000	4,000
2017–18	25,000	–
कुल	**83,000**	**8,788.78**

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति द्वारा पूर्व में मंगाई गई वांछित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में उत्खनन कार्य जुलाई 2016 से बंद है। वर्ष 2017–18 से वर्तमान तक उत्खनन निल है। वर्तमान में उत्खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन से भिन्न माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है।
5. कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर के पत्र दिनांक 01/08/2008 के द्वारा भू–प्रवेश अनुमति प्राप्त की गई।
6. अनुमोदित माईनिंग प्लान (खदान से उत्खनन प्रारंभ के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान) की प्रति प्रस्तुत किया गया है। माईनिंग प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक 972/आरएपी/ एलएसटी/ एमपीएलएन/ नागपुर दिनांक 13/08/2007 को अनुमोदित किया गया था। मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक 972/ आरएपी/ एलएसटी/ एमपीएलएन/ नागपुर दिनांक 13/04/2016 (अवधि 2015–16 से 2016–17 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
7. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में प्रस्तुत रिटर्न की प्रति (अद्यतन स्थिति में) प्रस्तुत किया गया है।
8. मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान का अनुमोदन 13/04/2016 को करने के कारण वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में प्रस्तावित/ अनुमोदित उत्खनन की मात्रा माईनिंग प्लान में नहीं दर्शायी गई है। अतः वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित प्रस्तावित मात्रा 5,000 टन को वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 हेतु मान्य किया जावेगा।
9. वास्तविक उत्खनन की मात्रा वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में अनुमोदित उत्खनन की मात्रा से अधिक नहीं किया गया है।
10. माईन लीज की बाउंड्री संरक्षित वन 250 मीटर के नजदीक है।
11. वर्तमान में 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण नहीं किया गया है। 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी (लगभग 0.63 हेक्टेयर) वर्ष 2017–18 में 2000 नग वृक्षारोपण किया जावेगा।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को माईन लीज की बाउंड्री संरक्षित वन 250 मीटर के नजदीक होने के कारण वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 674 दिनांक 24/11/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन लीज की बाउंड्री संरक्षित वन 250 मीटर के नजदीक होने के कारण वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्र दिनांक 29/11/2017 (प्राप्ति दिनांक 01/12/2017) को प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वन मंडलाधिकारी, रायपुर वन मंडल, रायपुर (छ.ग.) के पत्र द्वारा उक्त भूमि आरक्षित वन/संरक्षित वन/ऑरेंज एरिया की परिधि में नहीं आता है तथा भूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष जैसे छोटे बड़े झाड़ के जंगल नहीं है। अतः उक्त भूमि आवेदक खनि पट्टा हेतु आबंटित की जाती है एवं इस कार्यालय को कोई भी आपत्ति नहीं है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 243वीं बैठक दिनांक 27/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया किः–

1. वर्तमान में उत्खनन कार्य जुलाई 2016 से बंद है। वर्ष 2017–18 से वर्तमान तक उत्खनन शून्य है। वर्तमान में उत्खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
2. वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः 50 टन, 10 टन एवं 4,000 टन उत्खनन करना बताया गया है।
3. भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त स्पष्टीकरण पत्र क्रमांक Z-11013/68/2017-IA-II (M) दिनांक 15/09/2017 अनुसारः–

   "The mine leases which continue to operate without obtaining Environmental Clearance after 15.01.2016 are considered as violation cases and are required to be dealt in accordance with the violation policy under Environmental Impact Assessment Notification, 2006 as amended. The S.O.804(E) dated 14.03.2017 is notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to deal with violation cases."
4. मुख्य खनिजों के लीज हेतु दिनांक 07/10/2014 से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त उपरोक्त स्पष्टीकरण पत्र क्रमांक Z-11013/68/2017-IA-II (M) दिनांक 15/09/2017 के दृष्टिगत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् की अवधि में उत्खनन किया जाना था, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उक्त अवधि में उत्खनन किया गया है। अतः यह उल्लंघन का प्रकरण है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन कार्य किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरंक्षण मंडल को परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की अनुशंसा की गई।
2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना का.आ. 1805 (अ) दिनांक 06/06/2017 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना कार्य कर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रकरणों के पर्यावरणीय स्वीकृति की सुनवाई हेतु विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति का गठन किया गया है। अतः भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 804 (अ) दिनांक 14/03/2017 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करते हुए पर्यावरणीय अनापत्ति केंद्रीय स्तर से प्राप्त करने हेतु

नियमानुसार आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित करने की अनुशंसा की गई।

3. परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डिलिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

7. मेसर्स सहगांव लाईम स्टोन माईन (श्री विकास अग्रवाल), ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (565)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 62849/2017, यह आवेदन दिनांक 01/03/2017 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक श्री विकास अग्रवाल के द्वारा दिनांक 29/03/2017 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान खसरा नं. 360, 361, 365, 366 एवं 367, ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.50 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता –25,500 टन/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है :–

1. ग्राम पंचायत पथरिया (सह.) द्वारा दिनांक 16/06/2011 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. स्कीम ऑफ माईनिंग प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक (ना. क्षे.), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएलएन–372/ नागपुर दिनांक 10/03/2014 (अवधि 2013–14 से 2016–17 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 597 दिनांक 25/06/2015 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें रकबा 33.059 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ शहर दुर्ग 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई लगभग 22.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. लीज डीड श्री रमाशंकर अग्रवाल के नाम पर था। यह लीज डीड श्री विकास अग्रवाल के नाम से हस्तातंरण किया गया है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 08/02/1997 से 07/02/2017 तक की अवधि हेतु है।

4. माईनेबल रिजर्व 497580 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन सेमी मेकेनाईज्ड ओपन कास्ट विधि से किया जाता है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमरड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 3.0 मीटर है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6.2 कि.ली./दिन (डस्ट सप्रेशन 03 कि.ली./दिन, प्लांटेशन 02 कि.ली./दिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 1.2 कि.ली./दिन) जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्त्रोत टैंकर एवं बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है :–

05 वर्षों की उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्पादन क्षमता (टन)
2013–2014	1000	6000	15000
2014–2015	3300	9900	24750
2015–2016	1700	10200	25500
2016–2017	1700	10200	25500
कुल		**36300**	**90750**

5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** :– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार जानकारियाँ / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया था :–

1. पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत किया जावे।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन से भिन्न क्या माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी किसी भी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जावे। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दिया जावे।
3. भू–प्रवेश अनुमति की प्रति एवं उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
4. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे। साथ ही क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में प्रस्तुत रिटर्न की प्रति (अद्यतन स्थिति में) प्रस्तुत किया जावे।
5. यह स्पष्ट किया जावे कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय यह भी निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान

स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 11/05/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 225वीं बैठक दिनांक 15/05/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक उपस्थित नहीं हुये। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/05/2017 द्वारा सूचित किया गया कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने बाबत् अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/06/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 227वीं बैठक दिनांक 13/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही की जावे।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 493 दिनांक 13/09/2017 के द्वारा प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र एवं जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 244वीं बैठक दिनांक 28/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 493 दिनांक 13/09/2017 एवं पत्र क्रमांक 615 दिनांक 07/11/2017 द्वारा प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र एवं जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया, परंतु उक्त पत्रों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी उत्तर / अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाबत् कोई रूचि नहीं ली जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी आवेदन काफी समय से लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

8. सचिव, ग्राम पंचायत बांसबहार, ग्राम–बांसबहार, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर (241)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 35745 / 2015, यह आवेदन दिनांक 23 / 12 / 2015 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। सहायक खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जशपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक 942 / ख.शा.–स्था. / 2016, जशपुर दिनांक 30 / 01 / 2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 1, ग्राम–बांसबहार, ग्राम पंचायत बांसबहार, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर, कुल लीज क्षेत्र 7.350 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मैनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,82,000 घनमीटर / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत बांसबहार का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 453 / ख.शा. / 2015 जशपुर दिनांक 16 / 07 / 2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनिज प्रशासन), रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–बांसबहार 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। घोषित क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 4.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.0 से 5.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.75 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 150 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 150 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,82,000 घनमीटर

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12 / 02 / 2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.

सी, छत्तीसगढ़ की 183वीं बैठक दिनांक 16/02/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री संतोष कुमार चौहान, सचिव, ग्राम पंचायत बांसबहार एवं श्री हेलेन्द्र कुमार, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 453/ख.शा./2015 जशपुर दिनांक 16/07/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत बांसबहार का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.75 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मैनी नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।
6. प्रस्तुत फोटोग्राफ/नक्शा से स्पष्ट होता है कि खदान की सीमा से 100 मीटर के भीतर पुल स्थित है। खनि निरीक्षक एवं सचिव द्वारा खदान की सीमा से पुल की निश्चित दूरी संबंधी जानकारी नहीं दी जा सकी।
7. खनन स्थल की चौड़ाई औसत 150 मीटर एवं खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई औसत 150 मीटर बताई गई है। अर्थात् नदी के दोनों किनारों पर कटाव रोकने हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है। इस बाबत् सचिव एवं खनि निरीक्षक द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर वास्तविक नाप अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई, खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं वास्तविक उपलब्ध रेत की गहराई संबंधी प्रमाणिक जानकारियों का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जावे। साथ ही मौके पर रेत खदान का सीमांकन कर समीपस्थ सीमा से पुल की दूरी सत्यापित कर नक्शे में दर्शाते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। सीमांकित क्षेत्र का फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्तानुसार प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर को भी पत्र लिखा जावे एवं उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 6027 दिनांक 28/03/2016 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर द्वारा पत्र दिनांक 12/04/2016 के द्वारा नदी के पाट एवं खनन स्थल की चौड़ाई संबंधी प्रमाणित जानकारी दी गई, जिसके अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 150 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – 130 मीटर होना पाया गया है। साथ ही यह जानकारी भी

दी गई कि प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 195वीं बैठक दिनांक 05/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि प्रस्तुत जानकारी स्पष्ट नहीं है। प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को संशोधित माईनिंग तथा स्थल का रेत की वास्तविक गहराई की प्रमाणित जानकारी के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।
परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 197वीं बैठक दिनांक 14/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री संतोष कुमार चौहान, सचिव, ग्राम पंचायत बांसबहार तथा श्री हैलेन्द्र कुमार, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान दी गई जानकारी एवं फोटोग्राफ्स के अनुसार खनन स्थल के निकट एक पुल स्थित है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर द्वारा पत्र दिनांक 12/04/2016 के द्वारा प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है। प्रस्तुत जानकारी एवं प्रमाण पत्र में विषमताएं हैं। साथ ही प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक एवं सचिव द्वारा इस बाबत् संतोषजनक जानकारी / प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः यह पुष्टि नहीं हो सकी की खनन स्थल की सीमा से 100 मीटर की दूरी पर कोई प्रतिबंधित संरचना स्थित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि कलेक्टर, जिला – जशपुर से खनन स्थल की सीमा से 100 मीटर के भीतर स्थित सभी संरचनाओं एवं पूर्व से स्थित पुल की दूरी संबंधी प्रमाण पत्र मंगाया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/07/2016 एवं 30/08/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज आज दिनांक तक अप्राप्त है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 204वीं बैठक दिनांक 15/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि इस प्रकरण में पूर्व में समिति द्वारा विचार कर जानकारियाँ / दस्तावेज मंगाए गए थे। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में कई पत्र भी लिखे गये हैं। ये प्रकरण काफी दिनों से लंबित है। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को वांछित जानकारी के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाया जावे। पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया जावे कि पूर्ण जानकारी / दस्तावेज के अभाव में सुनवाई / प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं होगा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदन को अमान्य कर डी–लिस्ट कर दिया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/12/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 209वीं बैठक दिनांक 07/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। सुनवाई हेतु श्री संतोष कुमार चौहान, सचिव, ग्राम पंचायत बांसबहार उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. फोटोग्राफ्स के अनुसार खनन स्थल के निकट एक पुल स्थित है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर द्वारा पत्र दिनांक 12/04/2016 के द्वारा प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया गया है। प्रस्तुत जानकारी एवं प्रमाण पत्र में विषमताएं हैं। साथ ही सुनवाई के दौरान सचिव द्वारा इस बाबत् संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः यह पुष्टि नहीं हो सकी की खनन स्थल की सीमा से 100 मीटर की दूरी पर कोई प्रतिबंधित संरचना स्थित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि खनन स्थल की सीमा से 100 मीटर के भीतर स्थित सभी संरचनाओं एवं पुल की दूरी संबंधी जानकारी जांचकर पंचनामा सहित मंगाया जावे।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 1269 दिनांक 03/01/2017 के द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 244वीं बैठक दिनांक 28/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 1269 दिनांक 03/01/2017 एवं पत्र क्रमांक 620 दिनांक 08/11/2017 द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया, परंतु उक्त पत्रों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी उत्तर / अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाबत् कोई रूचि नहीं ली जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी आवेदन काफी समय से लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

9. सचिव, ग्राम पंचायत टांगरगांव, ग्राम–टांगरगांव, तहसील–कांसाबेल, जिला – जशपुर (251)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 36139/2015, यह आवेदन दिनांक 26/12/2015 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। सहायक खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जशपुर (छ.ग.) के पत्र

क्रमांक 942/ख.शा.–स्था./2016, जशपुर दिनांक 30/01/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 628, ग्राम–टांगरगांव, ग्राम पंचायत टांगरगांव, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर, कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मैनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,20,000 घन मीटर /वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत टांगरगांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 452/ख.शा./2015 जशपुर दिनांक 16/07/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनिज प्रशासन), रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–पोंगरो 2.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। घोषित क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग 7.0 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.0 से 5.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.75 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 100 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 80 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,20,000 घनमीटर

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार–परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/02/2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 183वीं बैठक दिनांक 16/02/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री रामकुमार साय, सचिव, ग्राम पंचायत टांगरगांव एवं श्री हेलेन्द्र कुमार, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 452/ख.शा./2015 जशपुर दिनांक 16/07/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 1000 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।

4. ग्राम पंचायत टांगरगांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.75 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मैनी नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

6. प्रस्तुत फोटोग्राफ/नक्शा से स्पष्ट होता है कि खदान की सीमा से 100 मीटर के भीतर पुल स्थित है। खनि निरीक्षक एवं सचिव द्वारा खदान की सीमा से पुल की निश्चित दूरी संबंधी जानकारी नहीं दी जा सकी।

7. माईनिंग प्लान के अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई औसत 100 मीटर एवं खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई औसत 80 मीटर बताई गई है। अर्थात् नदी के दोनों किनारों पर कटाव रोकने हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है। इस बाबत् सचिव एवं खनि निरीक्षक द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर वास्तविक नाप अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई, खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं वास्तविक उपलब्ध रेत की गहराई संबंधी प्रमाणिक जानकारियों का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जावे। साथ ही मौके पर रेत खदान का सीमांकन कर समीपस्थ सीमा से पुल की दूरी सत्यापित कर नक्शे में दर्शाते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। सीमांकित क्षेत्र का फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्तानुसार प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर को भी पत्र लिखा जावे एवं उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 6018 दिनांक 28/03/2016 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर द्वारा जानकारी दिनांक 13/04/2016 को प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसारः–

आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 80 मीटर

आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 100 मीटर

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर द्वारा जारी दिनांक 12/04/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 195वीं बैठक दिनांक 05/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि आवेदित खदान की सीमा से पुल की वास्तविक दूरी की जानकारी खनि निरीक्षक से मौके पर नापकर चाही गई थी, जो नहीं दी गई है। अतः कलेक्टर, जिला–जशपुर से वास्तविक दूरी की जानकारी पुनः मांगी जावे।
समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 24/06/2016, 20/07/2016 एवं 30/08/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज आज दिनांक तक अप्राप्त है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 204वीं बैठक दिनांक 15/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि इस प्रकरण में पूर्व में समिति द्वारा विचार कर जानकारियाँ / दस्तावेज मंगाए गए थे। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में कई पत्र भी लिखे गये हैं। ये प्रकरण काफी दिनों से लंबित है। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को वांछित जानकारी के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाया जावे। पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया जावे कि पूर्ण जानकारी / दस्तावेज के अभाव में सुनवाई / प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं होगा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदन को अमान्य कर डी–लिस्ट कर दिया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सुनवाई हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/12/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 209वीं बैठक दिनांक 07/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। सुनवाई हेतु श्री रामकुमार सिदार, सचिव, ग्राम पंचायत टांगरगांव उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि सुनवाई हेतु उपस्थित सचिव के अनुसार खनन स्थल के निकट एक पुल स्थित है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 12/04/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया गया है। प्रस्तुत जानकारी एवं प्रमाण पत्र में विषमताएं हैं। साथ ही सुनवाई के दौरान सचिव द्वारा इस बाबत् संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः यह पुष्टि नहीं हो सकी कि खनन स्थल की सीमा से 100 मीटर की दूरी पर कोई प्रतिबंधित संरचना स्थित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि खनन स्थल की सीमा से 100 मीटर के भीतर स्थित सभी संरचनाओं एवं पुल की दूरी संबंधी जानकारी जांचकर पंचनामा सहित मंगाया जावे।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 1271 दिनांक 03/01/2017 के द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 244वीं बैठक दिनांक 28/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 1271 दिनांक 03/01/2017 एवं पत्र क्रमांक 621 दिनांक 08/11/2017 द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया, परंतु उक्त पत्रों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी उत्तर / अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाबत् कोई रूचि नहीं ली जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी आवेदन काफी समय से लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

10. मेसर्स गोल्डन ट्रेड सेंटर (नवकार एसोसिएट्स), ग्राम–टिकरापारा (अमलीडीह), तहसील व जिला–रायपुर (483)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एनसीपी / 58541/2016, यह आवेदन दिनांक 22/08/2016 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा न्यु कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु टीओरआर/पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदन किया गया है, जो कि पार्ट ऑफ खसरा नं. 386/3 एवं 387/24, ग्राम–टिकरापारा (अमलीडीह), तहसील व जिला–रायपुर में प्रस्तावित है। कुल भू–एरिया 3520 वर्गमीटर एवं बिल्टअप एरिया 6159.48 वर्गमीटर है।

श्रेणी – 8(ए), यह परियोजना बिल्डिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओर.आर /पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् फार्म 01, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी :–

1. समीपस्थ शहर रायपुर है। समीपस्थ रेल्वे स्टेशन रायपुर लगभग 8.0 किलोमीटर तथा एयरपोर्ट, रायपुर लगभग 10.0 किलोमीटर की दूरी पर है।
2. नवकार एसोसिएट्स का बिल्डिंग 06 मंजिला होगा, जिसका कुल एरिया 37875 वर्गमीटर होगा। जिसमें दुकानो की संख्या ग्राउंड फ्लोर मे 10 दुकान, प्रथम तल मे 50 दुकान, द्वितीय तल मे 50 दुकान, तृतीय तल मे 50 दुकान, चौथा तल मे 50 दुकान, पॉचवां तल मे 50 दुकान, छठवां तल मे 50 दुकान है। इस प्रकार कुल 310 दुकानें है।

3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 2938 दिनांक 21/05/2010 द्वारा ग्रामीण एवं नगर निवेश विभाग की विकास अनुज्ञा बाबत् अनुमति दी गई है।
4. भूमि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
5. प्रोजेक्ट हेतु कुल 1000 किलोवॉट बिजली की खपत होना है।

ठोस अपशिष्ट की मात्रा– 1257.42 किलोग्राम/ दिन जनित होगा। जिसे बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन–बायोडिग्रेडेबल के अनुसार संग्रहित किया जावेगा।

जल उपयोग की मात्रा– कंस्ट्रक्शन फेज हेतु 25 किलोलीटर/ दिन एवं ऑपरेशन फेज हेतु 250 किलोलीटर/ दिन जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति म्युनिसीपल कॉर्पोरेशन रायपुर से की जावेगी।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 202वीं बैठक दिनांक 12/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये आवेदन के फार्म–1 में कॉन्सेप्चुअल प्लान संलग्न किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु कॉन्सेप्चुअल प्लान संलग्न नहीं है। परियोजना प्रस्तावक से आवेदन की मूलप्रति, फार्म–1(ए), पूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं कॉन्सेप्चुअल प्लान आदि मंगाया जावे।
2. खसरा की प्रतिलिपि संबंधी जानकारी स्पष्ट नहीं है। अतः भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की पठनीय प्रति एवं लेण्ड डायवर्सन बाबत् पूर्ण जानकारी मंगाई जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 1197 दिनांक 21/12/2016 के द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 244वीं बैठक दिनांक 28/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 1197 दिनांक 21/12/2016 एवं पत्र क्रमांक 705 दिनांक 11/12/2017 द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया, परंतु उक्त पत्रों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी उत्तर / अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाबत् कोई रूचि नहीं ली जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी आवेदन काफी समय से लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

11. सरपंच, ग्राम पंचायत उखरा, ग्राम–लामीसरार, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद (508)

ऑनलाईन आवेदन –प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/ 59524/2016, यह आवेदन दिनांक 07/10/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–महासमुंद (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 23/क/रेत/न.क./2016, महासमुंद दिनांक 13/10/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 48, ग्राम–लामीसरार, ग्राम पंचायत उखरा, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 8.10 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन कांदाजरी नाला से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–81,000 घनमीटर / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र –परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत उखरा का दिनांक 22/04/2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–महासमुंद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 19/क/रेत/न.क./2016 महासमुंद दिनांक 07/10/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी–

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–लामीसरार 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शासकीय स्कूल 1.6 कि.मी. एवं शासकीय अस्पताल 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.0 मीटर से अधिक
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 170 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 150 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,62,000 घनमीटर

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्रदिनांक 02/12/2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 210वीं बैठक दिनांक 08/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री विजय कुमार पटेल, सरंपच एवं श्री धूपराम पाण्डे, सचिव, ग्राम पंचायत उखरा उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान सरंपच / सचिव द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र का सीमांकन किया गया है, किन्तु इस हेतु पक्के मुनारे नहीं लगाये गये हैं। अतः पक्के मुनारे लगाया जावे एवं रेत उपलब्धता की गहराई के संबंध में मौके पर जॉच कर प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
2. खनन स्थल की औसत चौड़ाई 170 मीटर एवं नदी की औसत चौड़ाई 150 मीटर बताई गई है, जो कि विरोधाभासी है। खनन स्थल एवं नदी की मौके पर लंबाई एवं चौड़ाई की जॉच कर प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
3. उत्खनन स्थल के अद्यतन फोटोग्राफ्स प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त जानकारी/दस्तावेजों प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 1288 दिनांक 19/01/2017 के द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 244वीं बैठक दिनांक 28/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 1288 दिनांक 19/01/2017 एवं पत्र क्रमांक 706 दिनांक 11/12/2017 द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया, परंतु उक्त पत्रों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी उत्तर / अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाबत् कोई रूचि नहीं ली जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी आवेदन काफी समय से लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

12. मेसर्स राजुर लाईम स्टोन माईन (श्रीमति उषा के राजपुरिया), ग्राम–राजुर, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर (607)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 65261 / 2017, यह आवेदन दिनांक 08/06/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने के कारण परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 11/07/2017 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/07/2017 को प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 161, ग्राम–राजुर, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्र 1.53 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8800 टन/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. ग्राम पंचायत राजुर द्वारा दिनांक 01/08/1998 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र कमांक 1057/ बस्तर/ चूप/ खयो/ 2016–रायपुर दिनांक 07/12/2016 (अवधि 2016–17 से 2020–21 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–बस्तर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 03 खदानें रकबा 3.18 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–राजुर 01 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. में स्थित है। कांगेर नदी 04 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. **लीज डीड की जानकारी**:– लीज डीड श्रीमति उषा के राजपुरिया के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 23/10/1996 से 22/10/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–बस्तर के पत्र दिनांक 01/10/2015 द्वारा लीज नवीनीकरण बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. जियोलॉजिकल रिजर्व 1,18,810 टन एवं माईनेबल रिजर्व 70,770 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट मैनुवल विधि से उत्खनन किया जाता है। भू–भाग के 6005 वर्गमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। यह क्षेत्र पहाड़ी से लगा हुआ है, जिसमें वर्तमान में 04 मीटर गहराई तक खदान क्षेत्र के एक भाग में उत्खनन हुआ है। खदान में उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 08 वर्ष है।

बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 02 मीटर है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। जल उपभोग की मात्रा 2.5 कि.ली./दिन है, जिसका स्त्रोत भू–जल है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

विगत 05 वर्षों में उत्खनन की वर्षवार मात्रा

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2012–2013	–	5,257
2013–2014	–	1,492
2014–2015	7,125	363
2015–2016	7,125	1,800
2016–2017	7,600	1,920
कुल	**21,850**	**10,823**

उत्खनन की योजना

वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
2016–2017	8,000
2017–2018	8,000
2018–2019	8,400
2019–2020	8,400
2020–2021	8,800
कुल	**41,600**

5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 30/08/2017 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया:–

1. पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान (खदान से उत्खनन प्रारंभ के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान) की प्रति प्रस्तुत किया जावे। साथ ही समय–समय पर अनुमोदित स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान/ मॉडिफाइड माईनिंग प्लान/प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान की प्रति प्रस्तुत करें।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन से भिन्न क्या माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी किसी भी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जावे। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दिया जावे।
3. भू–प्रवेश अनुमति की प्रति एवं उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
4. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे। साथ ही

क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में प्रस्तुत रिटर्न की प्रति (अद्यतन स्थिति में) प्रस्तुत किया जावे।

5. यह स्पष्ट किया जावे कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 233वीं बैठक दिनांक 06/09/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री कामप्रेम राजपुरिया, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में उत्खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
2. वर्तमान में 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी (0.39 हेक्टेयर) में रोपित पौधो में से 550 नग पौधे जीवित है एवं वर्ष 2017–18 में 450 नग वृक्षारोपण किया जावेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 30/08/2017 में वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 30/08/2017 में वांछित 05 बिंदुओं की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 649 दिनांक 13/11/2017 के द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 244वीं बैठक दिनांक 28/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 649 दिनांक 13/11/2017 एवं पत्र क्रमांक 704 दिनांक 11/12/2017 द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया, परंतु उक्त पत्रों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी उत्तर / अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाबत् कोई रूचि नहीं ली जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी आवेदन काफी समय से लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

13. मेसर्स केदार अग्रवाल (पथराकुण्डी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–पथराकुण्डी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (1627)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/07/2014 को ग्राम–पथराकुण्डी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में चूना पत्थर खदान (मेजर मिनरल) उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये प्रारूप–1 में माईनिंग प्लान प्रि–फीजिबिलिटी रिपोर्ट सहित खसरा नं. 154/1, कुल लीज क्षेत्र 9.716 हे. ग्राम–पथराकुण्डी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–1,95,000 टन/वर्ष है। यह एक पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान है। इस खदान को पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 24/05/2010 को चूना पत्थर उत्खनन क्षमता 1,25,903 मीट्रिक टन / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई।

माईनिंग प्लान भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) नागपुर के पत्र क्रमांक आरएपी/एलएसटी/एमपीएलएन –655/ नागपुर दिनांक 05/06/2014 के द्वारा अनुमोदित किया गया है। ग्राम पंचायत आलेसुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 162वीं बैठक दिनांक 25/08/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 10/09/2015 के द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 166वीं बैठक दिनांक 15/09/2015 में प्रकरण पर विचार किया गया था। श्री केदार अग्रवाल, खदान मालिक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि समीपस्थ आबादी पथराकुंडी 400 मीटर की दूरी पर एवं राजमार्ग 4.2 कि.मी. मीटर की दूरी पर स्थित है। लीज क्षेत्र सीमा से 500 मीटर की परिधी में कोई अन्य खदानें स्वीकृत / संचालित नहीं है। खदान में अनुमानित उत्खनन योग्य भण्डार 9,37,605 टन है। खदान की आयु 05 वर्ष है। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 6.0 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। ओव्हर बर्डन की औसत मोटाई 0.5 मीटर है। उत्खनन की प्रक्रिया वाटर टेबल के ऊपर तक सीमित रखी जावेगी। जल स्तर की औसत गहराई 20 मीटर है। यह भी नोट किया गया कि ओव्हर बर्डन की मात्रा की जानकारी सही नहीं है। रिजेक्ट के मात्रा की सही गणना करना आवश्यक है। पूर्व में प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्त अनुसार वृक्षारोपण की स्थिति भी संतोषप्रद नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी दी गई की चट्टानी क्षेत्र होने के कारण वृक्षारोपण में सफलता नहीं मिल पा रही है। उन्हें 7.5 मीटर चौड़ाई की छोड़ी गई मिट्टी में कम से कम 01 मीटर व्यास के 02 से 03 मीटर गहरे गढ्ढे बनाकर पिपल, नील, बरगद जैसे वृक्षों का रोपण किया जावे। विचार विमर्श उपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से तत्समय निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 30/05/2012 के अनुसार क्षमता विस्तार के प्रकरण होने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत शासन, भोपाल से पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में दी शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे। साथ ही समिति की ओर से भी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत शासन,

भोपाल को इस बाबत् अनुरोध पत्र भेजा जावे। परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत शासन, भोपाल से पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में दी शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर शीघ्र प्रस्तुत करने एवं उपरोक्त जानकारियाँ समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 26/10/2015 एवं 20/07/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज आज दिनांक तक अप्राप्त है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 204वीं बैठक दिनांक 15/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि इस प्रकरण में पूर्व में समिति द्वारा विचार कर जानकारियाँ / दस्तावेज मंगाए गए थे। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में कई पत्र भी लिखे गये हैं। ये प्रकरण काफी दिनों से लंबित है। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को वांछित जानकारी के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाया जावे। पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया जावे कि पूर्ण जानकारी / दस्तावेज के अभाव में सुनवाई / प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं होगा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदन को अमान्य कर डी–लिस्ट कर दिया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सुनवाई हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/12/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 209वीं बैठक दिनांक 07/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। सुनवाई हेतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/12/2016 को प्रस्तुत पत्र में वांछित जानकारी जमा करने हेतु समय दिए जाने बाबत् अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 06/12/2016 का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से जानकारी प्राप्त होने पर समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 244वीं बैठक दिनांक 28/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक से जानकारी / दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में परियोजना प्रस्तावक को पत्र क्रमांक 717 दिनांक 21/12/2017 के द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परंतु उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी उत्तर / अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाबत् कोई रूचि नहीं ली जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी आवेदन काफी समय से लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

14. मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, गोंदवारा उरला एण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर (535)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 18008/2016, यह आवेदन दिनांक 28/07/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नं. 1/4, उरला एण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर में री–रोलिंग मिल क्षमता–60,000 टन/वर्ष से 1,50,000 टन/वर्ष (क्षमता विस्तार उपरांत) पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना का विनियोग रुपये 275.0 लाख एवं क्षमता विस्तार उपरांत कुल विनियोग रुपये 1431.91 लाख प्रस्तावित है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 120 दिनांक 28/04/2017 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया।

लोक सुनवाई दिनांक 07/07/2017 प्रातः 11:00 बजे स्थान उरला एसोसिएशन सभा कक्ष, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर के पत्र दिनांक 26/07/2017 द्वारा प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते हुये मूल दस्तावेज दिनांक 28/07/2017 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 30/08/2017 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गयाः–

1. जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन एवं लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना प्रस्तुत की जाये।
2. फाईनल ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाये।
3. फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया जावे। स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की जानकारी का समावेश की जाये।
4. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाये।

5. पूर्व में जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के दौरान कुल एरिया 1.619 हेक्टेयर बताया गया था, परंतु प्रस्तुत फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में कुल एरिया 1.821 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। इस बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत की जाये।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 235वीं बैठक दिनांक 08/09/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सिद्धेश्वर अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति द्वारा पूर्व में वांछित जानकारी प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा नस्ती/प्रस्तुत की गई जानकारी का अवलोकन किया गया था तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार नोट किया गया:–

1. पूर्व में जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन एवं लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना प्रस्तुत किया गया है।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रोलिंग मिल 60,000 टन/वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई है, जो दिनांक 28/02/2018 तक की अवधि हेतु वैध है।
3. समीपस्थ शहर रायपुर 4.5 कि.मी. की दूरी पर है। समीपस्थ रेल्वे स्टेशन उरकुरा 2.82 कि.मी. तथा रायपुर एयरपोर्ट 17.8 कि.मी. की दूरी पर है। खारून नदी 6.5 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी 1.86 कि.मी. है।
4. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
5. वर्तमान में 25 टन /घंटा क्षमता का रोलिंग मिल स्थापित है। रोलिंग मिल री–हीटिंग फर्नेस तथा रोलिंग मिल स्ट्रेण्ड में कोई परिवर्तन / क्षमता वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। री–हीटिंग फर्नेस ऑयल फायर्ड तथा प्रोड्युसर गैस फायर्ड है। कार्य अवधि 10 घण्टे से बढ़ाकर 22 घण्टे/दिन एवं कार्य दिवस 300 दिन से बढ़ाकर 330 दिन किया जाकर क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।
6. **रॉ–मटेरियल** – रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में इंगाट्स/बिलेट्स – 1,63,043 टन/वर्ष एवं कोल 15,000 टन/वर्ष अथवा फर्नेस ऑयल– 6,000 कि.ली./वर्ष का उपयोग कर रोल्ड प्रोडक्स का उत्पादन किया जावेगा। रॉ–मटेरियल्स का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाया जावेगा।
7. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – शेड का क्षेत्रफल 0.864 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.356 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका क्षेत्रफल 0.60 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 1.82 हेक्टेयर है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। परियोजना हेतु 1.619 हेक्टेयर निजी भूमि एवं 0.202 हेक्टेयर भूमि सी.एस.आई.डी.सी. से लीज पर लिया गया है। प्रस्ततुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्ट किया गया कि 0.202 हेक्टेयर सी.एस. आई.डी.सी. से लीज पर प्राप्त भूमि गणना के दौरान त्रुटिवश उल्लेख नहीं हो पाया था। परियोजना हेतु भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.82 हेक्टेयर है।
8. **जल खपत एवं स्त्रोत** – क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल हेतु 08 कि.ली. /दिन मेक–अप वॉटर (घरेलु उपयोग हेतु 03 कि.ली./दिन एवं अन्य हेतु 05

कि.ली./दिन) आवश्यकता होगी। फलस्वरूप क्षमता विस्तार उपरांत कुल जल खपत 80 कि.ली. /दिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल से की जावेगी। इस हेतु सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी में आवेदन करना बताया गया है।

9. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलु दूषित जल की मात्रा 02 कि.ली./दिन होगी, जिसके उपचार हेतु सैप्टिक टैंक तथा सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। औद्योगिक प्रक्रिया में केवल कुलिंग उपरांत दूषित जल प्राप्त होगा, जिसे पुनः उपयोग किया जावेगा।

10. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि कर 45 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

11. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – इकाई से मिस रोल – 6,032 मीट्रिक टन /वर्ष, मिल स्केल – 3,750 मीट्रिक टन /वर्ष एण्ड कोल एश – 5,250 मीट्रिक टन /वर्ष से ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न मिस–रोल को मिनी स्टील प्लांट एवं मिल स्केल को फेरो एलायज निर्माण इकाईयों को बेचा जायेगा। उत्पन्न कोल एश को ईट निर्माण इकाईयों तथा भू–भरण में अपवहन किया जायेगा।

12. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 3.89 मेगावॉट विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु क्षमता 125 के.व्ही.ए. डी.जी. सेट एकॉस्टिकली प्रुफ इंक्लोजर में स्थापित करना प्रस्तावित है।

13. उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु 10 नग रिचार्ज वेल्स (व्यास 01 मीटर एवं गहराई 03 मीटर) एवं 02 नग रिचार्ज ट्रेंच (लंबाई 06 मीटर, चौड़ाई 01 एवं गहराई 1.5 मीटर) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कुल 15,472.56 कि.ली./वर्ष वर्षा जल रिचार्ज किया जावेगा। प्रतिवर्ष 26400 कि.ली. जल खपत होगा। इस प्रकार रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से कुल रिचार्ज जल की मात्रा प्रतिवर्ष दोहन किये गये मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक होगी।

14. वर्तमान में हरित पट्टिका क्षेत्रफल 0.601 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में 600 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं वर्ष 2017–18 में 900 नग पौधे रोपित किया जावेगा।

15. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसंबर 2016 से मार्च 2017 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों

पर ध्वनि स्तर मापन, 06 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 08 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

16. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 19.1 से 31.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 52.7 से 78.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 09.9 से 17.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.0 से 28.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.1 डीबीए से 70.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.2 डीबीए से 69.3 डीबीए पाया गया। परियोजना क्षेत्र की सीमा के ठीक बाहर दिन में अधिकतम 70.8 डीबीए एवं रात्रि में 69.3 डीबीए पाया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था यथा कर्मचारियों को ईयर प्लग्स प्रदान करना, यथा संभव कार्य स्थल में डेम्पिग पेड का उपयोग करना, डी.जी. सेट एकॉस्टिकली प्रुफ इंक्लोजर में स्थापित करना, परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण करना आदि प्रस्तावित है।

17. परियोजना के क्षमता विस्तार संबंधी जनसुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय द्वारा सराहना करते हुये स्वागत किया गया। स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार प्राथमिकता के तौर पर दिये जाने बाबत् मांग की गई। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहमति दी गई।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में स्पष्ट अभिमत मंगाया जाये।

2. यह क्षेत्र सिवियरली पॉलुटेड एरिया के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने के दौरान किये गये मॉनिटरिंग के अनुसार परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की मात्रा इस क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक से एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा समय समय पर इस क्षेत्र में किये गये मॉनिटरिंग से प्राप्त परिणामों से काफी कम पाया जाना बताया गया है, जबकि सिवियरली पॉलुटेड क्षेत्र होने के कारण यह संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः पूर्व में मॉनिटरिंग किये गये स्थलों पर परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की एक माह की अवधि का गुणवत्ता मापन रिपोर्ट मानसून को छोड़कर अन्य मौसम का (Non Monsoon Season) प्रस्तुत की जाये एवं मॉनिटरिंग प्रारंभ करने से पूर्व मॉनिटंरिग प्लान एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का अभिमत एवं एक माह की अवधि का मॉनिटरिंग प्लान / मॉनिटरिंग डेटा को प्रस्तुत नहीं करते हुए आवेदित प्रकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में अनुरोध पत्र दिनांक 09/10/ 2017 को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि निर्देशानुसार एक माह की अवधि का परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन करना प्रारंभ कर दिया है एवं प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट के अनुसार उनके कार्यकलाप से परिवेशीय वायु में नगण्य वृद्धि होना संभावित है। अतः पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 238वीं बैठक दिनांक 13/10/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा पत्र / उल्लेखित तथ्यों का अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि पूर्व में चाही गई जानकारी प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 238वीं बैठक दिनांक 13/10/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज पत्र दिनांक 14/11/2017 (प्राप्ति दिनांक 15/11/2017) को प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 241वीं बैठक दिनांक 25/11/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि पूर्व में मॉनिटरिंग किये गये स्थलों पर परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की एक माह (04/10/2017 से 30/10/2017) की अवधि का गुणवत्ता मापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

1. पूर्व में उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में स्पष्ट अभिमत हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर को पत्र लिखा जावे।
2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा माह अक्टूबर 2017 में इस क्षेत्र अर्थात मेसर्स वुलवर्थ (इण्डिया) लिमिटेड, सरोरा, रायपुर में किये गये मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{10}$ 41.66 से 71.66 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 12.91 से 17.70 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 26.25 से 28.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। इस प्रकार माह अक्टूबर में किये गये मॉनिटनिंग अनुसार एयर क्वालिटी इंण्डेक्स 41.66 (गुड) से 71.66 (सेटिसफेक्ट्री) के मध्य पाया गया।
3. उद्योग के द्वारा माह अक्टूबर में 08 स्थलों पर मॉनिटरिंग का कार्य किया गया। इन स्थलों में किये गये मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18.9 से 47.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 54.0 से 143.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.4 से 20.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 15.5 से 30.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। इंक्रिमेंटल ग्राउण्ड लेवल कन्संट्रेशन को मॉनिटरिंग परिणामों में समावेश करने पर प्रस्तावित क्षमता विस्तार कार्यकलाप से परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की मात्रा में अत्यन्त कम वृद्धि संभावित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 15/12/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 28/12/2017 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 244वीं बैठक दिनांक 28/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा प्रेषित अभिमत में "उद्योग द्वारा प्रभावी व सक्षम प्रदूषण व्यवस्था किये जाने से उक्त ईकाई की स्थापना से डस्ट पार्टिकल की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।" का उल्लेख किया गया है।

समिति का मत था कि परियोजना स्थल सिवियरली पॉलुटेड क्षेत्र होने के कारण पार्टिकुलेट मेटर के उत्सर्जन में और नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु पार्टिकुलेट मेटर के उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 40 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर (20 प्रतिशत कठोर) सुनिश्चित किया जाना उचित होगा। साथ ही कच्चे माल / उत्पाद / ठोस अपशिष्टों के परिसर में हेण्डलिंग एवं परिवहन के दौरान फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन में और प्रभावी नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु जल छिड़काव व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाना, आंतरिक सड़कों का पक्कीकरण एवं सड़कों / परिसर की नियमित साफ सफाई आदि किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 1/4, उरला एण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर में री–रोलिंग मिल क्षमता–60,000 टन/वर्ष से 1,50,000 टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 1/4, उरला एण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर में री–रोलिंग मिल क्षमता–60,000 टन/वर्ष से 1,50,000 टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावे।

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

एजेण्डा कमांक – 3 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय**

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 245वीं एवं 246वीं बैठक क्रमशः दिनांक 18/01/2018 एवं 19/01/2018 की अनुशंसा के आधार पर खनिजों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परियोजना एवं औद्योगिक परियोजनाओं के प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया जाना।

निम्नानुसार प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लिया गया:–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत तुस्मा, ग्राम–तुस्मा, तहसील–नवागढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (642)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन /70692/2017, यह आवेदन दिनांक 31/10/2017 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 847/ख.लि./ 2017, दिनांक 28/08/2017 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 2582, ग्राम–तुस्मा, ग्राम पंचायत तुस्मा, तहसील–नवागढ़, जिला–जांजगीर–चांपा,

कुल लीज क्षेत्र 15 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,00,000 घनमीटर/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत तुस्मा का दिनांक 30/09/2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1003/ख.लि./2017 जांजगीर, दिनांक 23/09/2017 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–तुस्मा 01 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 05 कि. मी. की दूरी पर स्थित है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 250 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 700 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 3,00,000 घनमीटर

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 17/11/2017 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 240वीं बैठक दिनांक 24/11/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। तत्समय प्रस्तुतीकरण के लिए परियोजना प्रस्तावक उपस्थित नहीं हुये। समिति के समक्ष श्रीमती शबीना टंडन, खनि निरीक्षक उपस्थित हुई। खनि निरीक्षक द्वारा समिति से प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। खनि निरीक्षक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/12/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 242वीं बैठक दिनांक 26/12/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु

उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही की जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र दिनांक 02/01/2018 को प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/01/2018 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति **द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 245वीं बैठक दिनांक 18/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती सुनीता कठौतिया, सरपंच, ग्राम पंचायत तुस्मा उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1003/ख.लि./2017 जांजगीर, दिनांक 23/09/2017 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–तुस्मा) का रकबा 15.0 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत तुस्मा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. सरपंच द्वारा बताया गया कि ग्राम एवं आसपास में श्रमिकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। अतः रोजगार की दृष्टिकोण से श्रमिकों के माध्यम से रेत का उत्खनन एवं भराई आदि कार्य कराया जावेगा।
5. प्रस्तुतीकरण के दौरान सरपंच द्वारा बताया गया कि शिवरीनारायण में स्थित एनीकट खदान के अपस्ट्रीम में स्थित है। शिवरीनारायण स्थित पुल भी एनीकट के निकट स्थित है। खदान सीमा से पुल / एनीकट लगभग 2.5 कि.मी. दूर खदान के अपस्ट्रीम में स्थित है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति

द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 2582, ग्राम–तुस्मा, ग्राम पंचायत तुस्मा, तहसील–नवागढ़, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्र 15 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 1,50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 2582, ग्राम–तुस्मा, ग्राम पंचायत तुस्मा, तहसील–नवागढ़, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्र 15 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 1,50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावे।

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

2. मेसर्स तिवार्ता कोल बेनिफिसिऐशन लिमिटेड, ग्राम–लिम्हा, तहसील व जिला–बिलासपुर (311)

ऑफलाईन आवेदन – यह आवेदन पत्र क्रमांक टीसीबीएल/बीएसपी/17/006, दिनांक 04/01/2018 के द्वारा ऑफलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 8898/ 2016, दिनांक 14/01/2016 के द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन को एस.ई. आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/07/2016 द्वारा उद्योग के कोल वॉशरी (थ्रुपुट ऑफ कोल) क्षमता – 0.96 मिलियन टन / वर्ष हेतु आवेदन को निरस्त किया गया था।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/08/2016 को कोल वॉशरी (थ्रुपुट ऑफ कोल) क्षमता – 0.96 मिलियन टन / वर्ष के टी.ओ.आर. बाबत् खसरा नम्बर 74, 76, 38/1, 78, 47/1, 47/2, 49/1, 50, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 56/3के, 56/3ख, 56/4, 56/5, 57, 58, 59, 60, 61/3, 63, 62, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70/2, 71, 72, 77, 87, 37/2, 38/2, 42/1, 42/2, 44/1, 49/3, 73/1, 73/2, 75, 79, 51, 37/4 एवं 37/8, कुल एरिया 8.068 हेक्टेयर (19.93 एकड़), ग्राम–लिमहा, तहसील व जिला–बिलासपुर हेतु आवेदन किया गया था। उपरोक्त आवेदन पर पुनर्विचार किये जाने हेतु एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा पुर्नविचार हेतु दिनांक 24/08/2016 को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया गया।

तदानुसार एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्थाओं के दृष्टिगत पत्र क्रमांक 1208 दिनांक 22/12/2016 के द्वारा कोल वॉशरी बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित श्रेणी

2(ए) कोल वॉशरी का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

लोक सुनवाई दिनांक 17/11/2017, दिन शुक्रवार, समय 12:00 बजे, स्थान तिवार्ता कोल बेनिफिसिऐशन लिमिटेड के कोल वॉशरी प्रोजेक्ट एरिया, ग्राम–लिम्हा, पोस्ट–बेलतरा, तहसील व जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 28/12/2017 द्वारा प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट पत्र दिनांक 04/01/2018 को प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ द्वारा परियोजना प्रस्तावक को लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना, फाईनल ले–आउट प्लान तथा सभी सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/01/2018 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 245वीं बैठक दिनांक 18/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री अशोक कुमार दुलानी, डॉयरेक्टर, श्री राजकुमार दुलानी, डॉयरेक्टर, श्री डी.एस. राजपूत, प्रेसीडेट एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स भगवती एना लैब प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री एम. व्ही. राघवाचार्युलु उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. यह एक वेट टाईप कोल वॉशरी परियोजना है, जो हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। स्थल ग्राम–लिमहा, तहसील व जिला–बिलासपुर स्थित है। परियोजना स्थल का कुल क्षेत्रफल 8.07 हेक्टेयर (19.93 एकड़) है। परियोजना का विनियोग रुपये 142.5 लाख है।

2. **खसरा संबंधी जानकारी:–**

नम	खसरा नं.
श्री अशोक कुमार (डॉयरेक्टर)	62, 63, 65, (66/2, 67), 68, 69, 70/2, 38/2, 42/1, 42/2, 44/1, 49/3, 73/1, 73/2, 75 एवं 79
श्री राज कुमार (डॉयरेक्टर)	74, 76
श्री रवि दुलयानी (डॉयरेक्टर)	54, 77, 87
श्रीमती चंद्रमा देवी (डॉयरेक्टर)	38/1, 78
मेसर्स तिवार्ता कोल बेनिफिसिऐशन लिमिटेड	37/4, 37/8, 47/1, 47/2, 49/1, 50, 51, 52, 53, 55, 56/1, 56/2, 56/3के, 56/3ख, 56/4, 56/5, 57, 58, 59, 60, 61/3, 66/1, 71, 72
श्रीमती बिसाहु मरकाम के नाम पर है, जिससे अनुबंध किया गया है।	37/2

3. समीपस्थ आबादी ग्राम–लिमहा लगभग 2.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम शहर बिलासपुर 29.18 कि.मी. की दूरी पर है। बिलासपुर–कोरबा

सड़क 50 मीटर की दूरी में स्थित है। सगरी नाला–1.4 कि.मी., गोकनल नाला–8.4 कि.मी., गंजर नाला–5.9 कि.मी., टाटी नाला–7.6 कि.मी., कुरूंग नदी– 7.9 कि.मी., कुरूंग टैंक–4.5 कि.मी., कुरूंग लेफ्ट बैंक केनाल–7.3 कि.मी., कुरूंग राईट बैंक केनाल–8.6 कि.मी., खलारी रिजर्वायर–13.3 कि.मी. है। बिटकुली रिजर्व फारेस्ट–1.5 कि.मी., चिनपनी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट–1.7 कि.मी., डोंगानाला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट –2.6 कि.मी., भिजवतखार प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट –7.6 कि.मी., बरबर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट–6.1 कि.मी., पाली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट –8.1 कि.मी., धौराभांठा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट –11.6 कि.मी., शिवपुर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट –10.8 कि. मी. एवं ग्राम–ननग्राहीपारा के समीप रिजर्व फॉरेस्ट– 3.1 कि.मी. है।

4. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
5. जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
6. ग्राम पंचायत लिम्हा का दिनांक 15/09/2015 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – वॉशरी प्लांट 4.0 एकड़, रॉ–कोल स्टॉक यार्ड, क्लीन कोल, मीडलिंग एवं रिजेक्ट्स–3.5 एकड़, अन्य सुविधा (इन्टरनल रोड्स, गार्ड रुम, ऑफिस, पार्किंग आदि)–2.13 एकड़, वृक्षारोपण क्षेत्र–9.8 एकड़ एवं रिक्त भूमि 0.5 एकड़ में प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल एरिया 19.93 एकड़ है।
8. **रॉ–मटेरियल** – वेट पद्धति पर आधारित थ्रुपुट ऑफ कोल 0.96 मिलियन टन / वर्ष क्षमता का कोल वॉशरी है। वाश्ड कोल की मात्रा 0.77 मिलियन टन / वर्ष तथा रिजेक्ट कोल की मात्रा 0.19 मिलियन टन / वर्ष होगी। रॉ–कोल एस.ई. सी.एल. के दीपका, गेवरा, कुसमुंडा आदि खदानों से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सकड़ मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जावेगा। वॉशरी से वाश्ड कोल एवं रिजेक्ट का परिवहन रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जावेगा। प्लांट के अंदर 10 दिन का स्टॉक रखा जावेगा।
9. **जल खपत एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी** – लगभग 300 कि.ली./दिन कोल वाशिंग हेतु, 20 कि.ली. प्रतिदिन डस्ट सप्रेशन हेतु एवं 30 कि.ली./दिन घरेलू उपयोग हेतु जल खपत होगा। इस प्रकार कुल 350 कि.ली./दिन होगा। जिसका स्त्रोत भू–जल होगा। 350 कि.ली./दिन भूमिगत जल दोहन हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के पत्र दिनांक 08/01/2018 द्वारा जारी किया गया है।
10. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित कोल वॉशरी स्थापित किया जावेगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। कोल स्लज के डिवॉटरिंग हेतु फिल्टर प्रेस/बेल्ट प्रेस की स्थापना की जावेगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न

दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के अंदर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी। रॉ–कोल, वॉशड कोल एवं रिजेक्ट्स कोल के भंडारण क्षेत्र को पक्का कर यह सुनिश्चित किया जावेगा ताकि भू–जल गुणवत्ता पर कोई भी नकारात्क प्रभाव नहीं हो।

11. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में कोल क्रशर इकाई एवं कोल भंडारण / हैंडलिंग के दौरान उत्पन्न डस्ट नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। कोल वॉशरी में डस्ट उत्सर्जन बिंदुओ पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर स्थापित किया जायेगा। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सभी कन्व्हेयर सिस्टम को ढंका जायेगा।

12. **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

13. **ठोस अपशिष्ट की मात्रा**– रिजेक्ट कोल 0.19 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। जिसे मेसर्स सलासार स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड एवं अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु को विक्रय किया जाना प्रस्तावित है।

14. **ग्रीन बेल्ट व्यवस्था**– कुल क्षेत्रफल में से लगभग 9.8 एकड़ (49.17 प्रतिशत) में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान प्रस्ताव में ले–आउट में परिवर्तन किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र को बढ़ाकर मुख्य सड़क की ओर लगभग 25 मीटर चौड़ा वृक्षारोपण किया जावेगा अर्थात बिलासपुर–कोरबा मेन रोड की तरफ 25 मीटर एवं ग्राम–हरनमुंडी की तरफ 37 मीटर चौड़ी मीटर हरित पट्टि का विकास किया जावेगा। इसके अतिरिक्त तीनों तरफ 15 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग के चारों तरफ 05 मीटर उंची पक्की बाउंड्री के उपर 05 मीटर उंचा विंड ब्रेकिंग सिस्टम (स्क्रीन) के साथ रेन गन लगाया जाना प्रस्तावित है।

15. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** :– मॉनिटरिंग कार्य दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 12 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 08 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

16. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु आवश्यक विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जावेगी।
17. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 14.3 से 16.1 माईक्रोग्राम / घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.3 से 53.3 माईक्रोग्राम / घनमीटर, एसओ$_2$ 7.0 से 9.0 माईक्रोग्राम / घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 9.5 से 13.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर 32.4 डीबीए से 62.3 डीबीए पाया गया। वर्तमान में ग्राम–हरनमुंडी स्थित स्कूल में ध्वनि स्तर 47.3 डीबीए (गणना अनुसार) पाया गया है। उद्योग के स्थापना उपरांत ध्वनि स्तर में 0.48 डीबीए की वृद्धि होना संभावित है। एकत्रित प्रायमरी डेटा तथा बिलासपुर वन वृत्त के कार्ययोजना (वर्ष 2005–06 से 2014–15) के अनुसार कोई संकटमय फ्लोरा एवं फोना उपस्थित नहीं होना बताया गया है।
18. आंतरिक मार्गो का ड्रेन–टू–ड्रेन पक्कीकरण किया जावेगा। गारलेण्ड ड्रेन बनाया जावेगा। सी.एस.आर. के अंतर्गत मेडिकल केयर सेंटर उपलब्ध कराना एवं विभिन्न कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
19. कोल वॉशरी प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.वी. कैमरा सिस्टम के माध्यम से अवागमन करने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जावेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि रॉ–कोल, वाश्ड कोल एवं रिजेक्ट्स से भरे सभी वाहन ठीक ढंग से ढंके हुये हैं। प्रवेश द्वार पर व्हील वॉश सिस्टम भी लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सके।

जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

1. शासन के द्वारा कोल वॉशरी खोले जाने का गाईडलाइन के आधार पर यह स्थल उचित नहीं है। क्योंकि इस स्थल से आम बस्ती 200 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं यह स्थल हाइवे से लगा हुआ है, जो उपयुक्त नहीं है। प्रस्तावित कोल वॉशरी से ग्राम–हरनमुंडी के भूमि–भवन, हाईस्कूल, मीडिल स्कूल, आंगनबाड़ी, शासकीय डबरी 100 मीटर की दूरी पर है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा।
2. स्थापित कोल वाशरी कृषि भूमि है एवं आसपास का पूरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। ग्राम –पंचायत लिम्हा एक आदिवासी क्षेत्र है, जिसकी सामाजिक संस्कृति भिन्न है। यहॉ के लोग कृषि पर आधारित है। यहॉ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। प्रस्तावित कोल वॉशरी के चारों ओर कृषि भूमि के साथ–साथ बस्ती, टोला, मोहल्ला आदि के रुप में घनी आबादी बसा है। कोल वॉशरी से निकलने वाले धूल व प्रदूषण से पूरा क्षेत्र एवं पर्यावरण प्रदूषित होगा।
3. प्रस्तावित कोल वॉशरी से निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलतरा की दूरी 3 कि.मी. है। कोल वॉशरी के आपपास क्षेत्र में वायु प्रदूषण से प्रभावित लोगों को श्वास संबंधी बीमारियों होने से यहां पर्याप्त चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं है इस हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करें।

4. प्रस्तावित कोल वॉशरी स्थल के आसपास लगभग 02 कि.मी. की परिधि घने वन के जंगल है। जिसमें विभिन्न प्रकार के संरक्षित जीव–जंतु निवास करते है। कोल वॉशरी के स्थापना होने से वनों की अवैध कटाई बढ़गी तथा जंगली–जंतु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
5. प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है, जिससे राजमार्ग पर हमेशा वाहनों की लंबी कतार लग जायेगी जो सड़क दुर्घटना का कारण बनेगा तथा क्षेत्र में वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ेगी।
6. प्रस्तावित स्थल पर उद्योग प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित कोल वॉशरी हेतु भू–जल दोहन करने से भूमिगत जल स्तर नीचे चला जायेगा।
7. प्रस्तावित कोल वाशरी कें अंदर अनेक कृषकों की भूमि है, जिनके द्वारा उक्त कोले वॉशरी के विरोध में अपनी भूमि विक्रय नहीं की गई है। परियोजना के प्रारंभ होने पर उक्त कृषकों को अपनी भूमि प्रवेश एवं कृषि कार्य करने में अनेक समस्या उत्पन्न होगी। उद्योग द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है।
8. प्रस्तावित उद्योग के प्रभावित ग्राम–अंधियारीपारा को गोद लिया जावे एवं प्रभावित ग्रामों के नवयुवको /शिक्षित बेरोजगारो को संयंत्र में यथा योग्यता रोजगार उपलब्ध कराये, साथ ही समीपस्थ प्रभावित गांवो में मूलभूत सुविधा जैसेः– शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क एवं पानी की व्यस्था हेतु कार्यवाही की जाये।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में उद्योग प्रबंधन का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. कोल वॉशरी स्थल बाबत् गाइडलाईन जारी नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि फाईनल ले–आउट इस प्रकार तैयार किया गया है कि क्रशर, रोटरी ब्रेकर, कोल वॉशरी संयंत्र बिलासपुर–कोरबा मेन रोड से यथा संभव अधिकतम दूरी पर स्थापित किया जावेगा।
2. परिसर के चारों तरफ 05 मीटर उंची बाउंड्री वॉल तथा बाउंड्री वॉल के उपर 05 मीटर उंची हवा अवरोधक (विंड ब्रेक स्क्रीन) दीवार बनाया जावेगा। मुख्य सड़क अर्थात् बिलासपुर–कोरबा मेन रोड की तरफ 25 मीटर एवं ग्राम–हरनमुंडी की तरफ 37 मीटर चौड़ी मीटर हरित पट्टि का विकास किया जावेगा। इसके अतिरिक्त परिसर के तीनों तरफ 15 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल परियोजना क्षेत्र के 49.17 प्रतिशत भूमि पर वृक्षारोपण किया जावेगा। कच्चा कोयला लाने वाले वाहनों को वे–ब्रीज में तौलने के बाद कोयले में पर्याप्त जल छिड़काव कर गीला किया जायेगा, ताकि अनलोडिंग के समय धूल नहीं उड़े। ग्राउंड हॉपर एवं अनलोडिंग स्थानों पर जल छिड़काव की समुचित व्यवस्था की जावेगी। दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर एवं सेडिमेंटेशन पॉण्ड का निर्माण किया जावेगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जावेगी। ड्रेन –टू–ड्रेन पक्का आंतरिक मार्गो का निर्माण किया जावेगा।
3. प्रस्तावित कोल वॉशरी स्थल के आसपास/लगा हुआ कृषि भूमि स्थित है। एक तरफ कोरबा–बिलासपुर सड़क है। लगभग 200 मीटर दूर ग्रामीण बस्ती एवं स्कूल है। शेष अन्य दिशाओं में कृषि भूमि स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि इस परियोजना की प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त इससे लगी 9.641 एकड़ भूमि स्वयं परियोजना प्रस्तावक की है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था की जावेगी। सड़क परिवहन पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में इसी मार्ग से कच्चे कोयले की ढुलाई अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। धुला हुआ कोयला एवं रिजेक्ट गीला होने से धूल उड़ने की संभावना भी नहीं है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों के अधीन प्राथमिक उपचार केंद्र की समुचित व्यवस्था, कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण, कर्मचारियों का सपरिवार मुफ्त इलाज "कर्मचारियों राज्य बीमा (ई.एस.आई.)" एवं बस्ती में समय–समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर औषधियों/दवाईयों का वितरण किया जायेगा। साथ ही आसपास के ग्रामों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सप्ताह में 03 दिन डॉक्टर की सुविधा सुनिश्चित कराई जावेगी।
5. वॉशरी परिसर के आसपास लभगग 02 कि.मी. की परिधि में बिटकुली एवं छिनपानी जंगल है। परियोजना में संयंत्र हेतु सभी कार्य प्रस्तावित संयंत्र परिसर के अंदर किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वस्त किया गया है कि पर्यावरण हेतु बनाये गये नियमों एवं प्रावधानों को पूरी तरह से पालन करना सूनिश्चित किया जायेगा ताकि आसपास के जंगल व अन्य क्षेत्र में जीव–जंतुओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।
6. परिवहन हेतु वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर की जावेगी। संचालन हेतु सभी वाहन चालकों द्वारा पर्याप्त सावधानी बरतने एवं सीमित गति सीमा सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जावेगी। राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार की रोकथाम हेतु उद्योग परिसर के भीतर वाहनों का पार्किंग सुनिश्चित किया जावेगा।
7. आवश्यकता अनुसार कम से कम भू–जल दोहन किया जावेगा। संयंत्र से उत्पन्न दूषित जल को शोधित कर पुर्नउपयोग किया जावेगा। साथ ही वर्षा के जल को एकत्रित कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के माध्यम से भू–जल में रिचार्ज किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि परियोजना के क्षेत्र में संपूर्ण वर्षा जल (स्टार्मवाटर) को एकत्रित कर रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल में रि–चार्ज किया जावेगा। इस प्रकार शून्य निस्सारण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रस्तावित कोल वॉशरी स्थल के अंदर किसी भी कृषक की भूमि नहीं है। उद्योग प्रबंधन द्वारा यह आवश्वासन दिया गया है कि कोल वॉशरी की स्थापना से किसी भी कृषक को उसकी भूमि में आने–जाने में कोई अवरोध नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावेगा।
9. प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि समस्त शासकीय नियमों, प्रावधानों व समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा। आवश्यकतानुसार योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्राम–अंधियारीपारा को गोद लेने के संबंध में उपयुक्त निर्णय लिया जावेगा। सामुदायिक विकास मद में निर्धारित राशि के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का सक्षम

शासकीय अधिकारियों द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसार शिक्षा, बिजली, सड़कें एवं पानी की व्यवस्था हेतु कार्य कराये जायेंगें।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को यह निर्देशित किया गया कि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों तथा कोल वॉशरी संचालन से उत्पन्न स्थानीय समस्या (यदि कोई हो) की नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है, जिसमें सभी हितधारकों (स्टेक होल्डर) का प्रतिनिधित्व रहे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उक्त बाबत् सहमति व्यक्त करते हुये बताया गया कि ग्रामवासियों, स्कूल प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन एवं उद्योग प्रतिनिधी को शामिल करते हुये एक मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जावेगा। इस समिति द्वारा माह में कम से कम एक बार बैठक कर, कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रेषित किया जावेगा। समिति के सुझाव अनुसार प्रदूषण नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार कर कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। कोल वॉशरी के मशीनों में आवश्यकता अनुसार ध्वनि रोधी व्यवस्था एवं वाईब्रेशन नियंत्रण व्यवस्था अपनाई जावेगी। परिवहन में संलग्न वाहनों में प्रेसर हार्न का उपयोग किसी भी दशा में नहीं किया जावेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोल वॉशरी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु जारी ''कोड ऑफ प्रेक्टिस'' का पालन किया जावेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नम्बर 62, 63, 65, (66/2, 67), 68, 69, 70/2, 38/2, 42/1, 42/2, 44/1, 49/3, 73/1, 73/2, 75, 79, 74, 76, 54, 77, 87, 38/1, 78, 37/4, 37/8, 47/1, 47/2, 49/1, 50, 51, 52, 53, 55, 56/1, 56/2, 56/3के, 56/3ख, 56/4, 56/5, 57, 58, 59, 60, 61/3, 66/1, 71, 72 एवं 37/2, कुल क्षेत्रफल 8.068 हेक्टेयर (19.93 एकड़), ग्राम–लिमहा, तहसील व जिला–बिलासपुर में वेट टाइप कोल वॉशरी क्षमता – 0.96 मिलियन टन/वर्ष (थ्रुपुट ऑफ कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नम्बर 62, 63, 65, (66/2, 67), 68, 69, 70/2, 38/2, 42/1, 42/2, 44/1, 49/3, 73/1, 73/2, 75, 79, 74, 76, 54, 77, 87, 38/1, 78, 37/4, 37/8, 47/1, 47/2, 49/1, 50, 51, 52, 53, 55, 56/1, 56/2, 56/3के, 56/3ख, 56/4, 56/5, 57, 58, 59, 60, 61/3, 66/1, 71, 72 एवं 37/2, कुल क्षेत्रफल 8.068 हेक्टेयर (19.93 एकड़), ग्राम–लिमहा, तहसील व जिला–बिलासपुर में वेट टाइप कोल वॉशरी क्षमता – 0.96 मिलियन टन/वर्ष (थ्रुपुट ऑफ कोल) की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावे।

''वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।''

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

3. **मेसर्स श्री भगतराम साहू (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (539)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61378/2016, यह आवेदन दिनांक 28/12/2016 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 1892, 1893 एवं 1896, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 0.955 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,100 टन/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी का दिनांक 20/10/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र कमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएनएल–431/ नागपुर, दिनांक 16/06/1995 के द्वारा 2.70 एकड़ हेतु अनुमोदित है। मॉडिफिकेशन इन माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र कमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएलडी–431/ एनजीपी–2015 दिनांक 23/03/2016 (अवधि 2015–16 से 29/10/2018 तक हेतु) द्वारा लीज क्षेत्र में कमी अर्थात् 2.36 एकड़ (0.955 हेक्टेयर) हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र कमांक 1969 दिनांक 30/12/2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 09 खदानें रकबा 30.75 हेक्टेयर स्वीकृत/विद्यमान हैं।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी–

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1.5 कि.मी., अस्पताल ग्राम–नंदिनी नगर 3.0 कि.मी. एवं मंदिर बेरला 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.0 कि.मी. है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. लीज डीड श्री भगत राम साहू के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 30/10/1998 से 29/10/2018 तक की अवधि हेतु है।
4. जियोलॉजिकल रिजर्व 1,76,428 टन एवं माईनेबल रिजर्व 19,838 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। आवेदन अनुसार उत्खनन की अधिकतम गहराई 15 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3.0 मीटर होगी। उपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर एवं अनुमानित मात्रा 468.91 घनमीटर है। भू–भाग के 6,190 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन होना बताया गया है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया

जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 5.5 कि.ली./दिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेशन 02 कि.ली./दिन, प्लांटेशन 02 कि.ली./दिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 1.5 कि.ली./दिन) है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण किया जावेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वृक्षारोपण किया गया है। मॉडिफाईड माईनिंग प्लान के अनुसार वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

उत्खनन की योजना

वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
1999–2000	1,450
2000–2001	480
2001–2002	1,210
2002–2003	50
2003–2004	निल
2004–2005	
2005–2006	
2006–2007	
2007–2008	
2008–2009	
2009–2010	
2010–2011	
2011–2012	
2012–2013	6,484.08
2013–2014	निल
कुल	**9,674.08**

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2015–2016	406.03	2.0	812.06	2,030.15
2016–2017	406.24	2.0	812.49	2,031.24
2017–2018	408.60	2.0	817.20	2,043.01
2018–2019	419.12	2.0	838.25	2,095.64
कुल	–	–	**3,280.00**	**8,200.04**

5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 217वीं बैठक दिनांक 21/02/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में स्वीकृत माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत करते हुए अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों/दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 17/03/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 220वीं बैठक दिनांक 20/03/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक उपस्थित नहीं हुये। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 17/03/2017 (प्राप्ति दिनांक 20/03/2017) द्वारा सूचना दिया गया कि अपरिहार्य कारणों से दिनांक 20/03/2017 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने बाबत् अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/04/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 223वीं बैठक दिनांक 20/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री मुक्तानंद साहू, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की अवधि में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। वर्तमान में भी उत्खनन कार्य नहीं किया जाना बताया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2013 से 2017 तक का क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की प्रति प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 1999 से 2012 तक की अवधि का क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. मॉडिफाइड माईनिंग प्लान के अनुसार वर्ष 1999 से 2013–14 तक की अवधि में कुल उत्खनन 9,674.08 टन बताया गया है। मॉडिफाइड माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना करते समय विगत 15 वर्षों में उत्पादन 1,54,920 टन बताया गया है। दोनों तथ्यों में विरोधाभास है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को वर्ष 1999 से 2012 तक की अवधि का क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की प्रति के साथ मॉडिफाइड माईनिंग प्लान में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार विगत 15 वर्षो में 1,54,920 टन उत्खनन के संबंध में प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे। साथ ही उपरोक्त बिन्दु कमांक 03 के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 224 दिनांक 25/05/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज पत्र दिनांक 05/06/2017 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

1. वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की अवधि में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, परन्तु 2016–17 में उत्खनन कार्य 3,185 टन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण मार्च–2017 के बाद उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
2. वर्ष 1999–2000 से 2016–2017 तक की अवधि का क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

3. मॉडिफाइड माईनिंग प्लान (माईनिंग लीज अवधि 30/10/1998 से 29/10/2018 तक) के अनुसार वर्ष 1999 से 2013–14 तक की अवधि में कुल उत्खनन 9,674.08 टन बताया गया है।

4. अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि माईनिंग प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी/एलएसटी/ एमपीएनएल–431/ नागपुर, दिनांक 16/06/1995 के द्वारा 2.70 एकड़ हेतु अनुमोदित है। मॉडिफाइड माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना करते समय विगत 15 वर्षों में उत्पादन 1,54,920 टन बताया गया है, जो कि सही नहीं है। अतः पीट के अनुसार उत्पादन 22 वर्षों हेतु है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 230वीं बैठक दिनांक 16/06/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/ दस्तावेज अस्पष्ट है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 22/07/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 231वीं बैठक दिनांक 25/07/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री मुक्तानंद साहू, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित थे। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में उत्खनन शून्य तथा वर्ष 2016–17 में 3,185 टन उत्खनन किया गया है। वर्तमान में उत्खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। अनुमोदित मॉडिफिकेशन इन माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान में दर्शाये गये मात्रा (2,031.24) से अधिक उत्खनन किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2016–17 में वास्तविक उत्खनन में वृद्धि हुई है। अतः यह ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य खनिज के उत्खनन के प्रकरणों को लीज नवीनीकरण, क्षमता विस्तार, उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर पर्यावरणीय स्वीकृति लेना आवश्यक है। जबकि परियोजना प्रस्ताव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना अनुमोदित मॉडिफिकेशन इन माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान में दर्शाये गये मात्रा (2,031.24) से अधिक उत्खनन वर्ष 2016–17 में किया गया है। अतः ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरंक्षण मंडल को परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की अनुशंसा की गई।
2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना का.आ. 1805 (अ) दिनांक 06/06/2017 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना कार्य कर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रकरणों के पर्यावरणीय स्वीकृति की सुनवाई हेतु विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति का गठन किया गया है। अतः

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 804 (अ) दिनांक 14/03/2017 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करते हुए पर्यावरणीय अनापत्ति केंद्रीय स्तर से प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित करने की अनुशंसा की गई।

3. परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डिलिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 74वीं बैठक दिनांक 09/10/2017 में विचार किया गया था। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 29/09/2017 के द्वारा उत्खनन की मात्रा बाबत् संशोधित जानकारी प्रेषित की गई है। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में अपने पत्र दिनांक 05/06/2017 में प्रस्तुत रिटर्न में वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में उत्खनन शून्य तथा वर्ष 2016–17 में 3,185 टन उत्खनन बताया गया है। अपने पत्र दिनांक 29/09/2017 के साथ वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित रिटर्न्स के अनुसार वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में उत्खनन शून्य बताया गया है। इस प्रकार पूर्व प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2016–17 में उत्खनन करना बताया गया था, जबकि वर्तमान में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2016–17 में उत्खनन नहीं करना बताया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), दुर्ग को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रिर्टन्स की प्रति प्रेषित करते हुये वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 (वर्तमान अवधि तक) की अवधि में (प्रतिवर्ष अप्रेल से मार्च की अवधि तक) वास्तविक उत्खनन की मात्रा की प्रमाणिक जानकारी प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जावे। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को वर्ष 2016–17 में वास्तविक उत्खनन की मात्रा में भिन्नता (आई.बी.एम. में प्रस्तुत रिटर्न्स में उल्लेखित मात्रा में भिन्नता) के संबंध में प्रमाण सहित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के पत्र क्रमांक 581 दिनांक 28/10/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/12/2017 को जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 77वीं बैठक दिनांक 05/01/2018 में विचार किया गया था। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/ जानकारी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि उपरोक्त जानकारी के परिपेक्ष्य में प्रकरण पर विचार कर नियमानुसार उपयुक्त अनुशंसा करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया जावे।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 245वीं बैठक दिनांक 18/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जानकारी/ दस्तावेज के आधार पर समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आई.बी.एम. में प्रस्तुत वर्ष 2016–17 का संशोधित रिटर्न प्रस्तुत किया गया है। जिसकी छायाप्रति खनि अधिकारी, दुर्ग द्वारा अधिप्रमाणिक है। अतः पूर्व में बताये गये उत्खनन अर्थात् वर्ष 2016–17 में 3,185 टन उत्खनन को शून्य मानकर वर्ष 2016–17 में उत्खनन कार्य नहीं होना माना गया।

2. वर्तमान में उत्खनन कार्य अप्रैल 2014 से बंद है। वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

3. भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त स्पष्टीकरण पत्र कमांक Z-11013/68/2017-IA-II(M) दिनांक 15/09/2017 अनुसारः–

   "The mine leases which continue to operate without obtaining Environmental Clearance after 15.01.2016 are considered as violation cases and are required to be dealt in accordance with the violation policy under Environmental Impact Assessment Notification, 2006 as amended. The S.O.804(E) dated 14.03.2017 is notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to deal with violation cases."

4. मुख्य खनिजों के लीज हेतु दिनांक 07/10/2014 से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त उपरोक्त स्पष्टीकरण पत्र कमांक Z-11013/68/2017-IA-II (M) दिनांक 15/09/2017 के दृष्टिगत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् की अवधि में उत्खनन किया जाना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त अवधि में उत्खनन नहीं किया गया है।

5. प्रकरण मुख्य खनिज के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार करने विषयक है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में मुख्य खनिजों के क्लस्टर के संबंध में कोई परिभाषा / दिशानिर्देश नहीं दिया गया है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में क्लस्टर की जो परिभाषा दी गई है, वह केवल गौण खनिजों के लागू है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र कमांक 1969 दिनांक 30/12/2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 09 खदानें रकबा 30.75 हेक्टेयर स्वीकृत/विद्यमान हैं। साथ ही विचाराधीन खदान के आस पास मुख्य खनिज चुना पत्थर की कई छोटी एवं बड़ी खदानें संचालित हैं। मुख्य खनिज का उत्खनन भारत सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न अधिनियमों / नियमों के अधीन संचालित होते हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा आदि विभिन्न घटक सम्मिलित हैं। इन छोटी एवं बड़ी खदानों से समग्र रूप से पर्यावरण पर संचयी (cummulative effect) विपरित प्रभाव पड़ने की संभावना है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत गौण खनिजों के लिये निर्धारित क्लस्टर की परिभाषा मुख्य खनिजों के क्लस्टर हेतु लागू किया जाना उचित नहीं होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स श्री भगतराम साहू (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन) के चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता – 2,095.64 टन/वर्ष, खसरा नं. 1892, 1893 एवं 1896, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 0.955 हेक्टेयर हेतु बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही जारी किये जाने वाले टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में प्रस्तावित वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों के पौधों की सूची उपलब्ध कराने एवं वृक्षारोपण की कार्ययोजना को अतिरिक्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के रूप में शामिल किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) जारी किया जावे।

4. मेसर्स के.जे.एस.एल. कोल एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भनेसर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (663)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /सीएमआईएन/ 21550/2018, यह आवेदन दिनांक 06/01/2018 के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नम्बर 103/1, 103/3, 103/9, 103/31, 103/43, 103/44, 107 एवं 108, ग्राम–भनेसर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर, कुल एरिया 7.58 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता– 0.6 मिलियन टन / वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 775 लाख है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/01/2018 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया:–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे।
2. प्रस्तावित ले–ऑउट प्लान प्रस्तुत किया जावे।
3. अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन के साथ कोल वॉशरी स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से चयनित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत करे।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 246वीं बैठक दिनांक 19/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सुनील अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. यह प्रस्तावित परियोजना एक वेट टाईप कोल वॉशरी है, जो हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। स्थल का खसरा नम्बर 103/1, 103/3, 103/9, 103/31, 103/43, 103/44, 107 एवं 108, कुल एरिया 7.58 एकड़, ग्राम–भनेसर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर में स्थित है।
2. समीपस्थ आबादी ग्राम–पाराघाट 200 मीटर एवं ग्राम–भनेसर 375 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम शहर बिलासपुर 17.0 कि.मी., रेलवे स्टेशन जयरामनगर 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. दूर स्थित है। लीलागर नदी 2.3 कि.मी. की दूरी पर बहती है। रेलवे लाईन लगभग 45 मीटर तथा तालाब 160 मीटर की दूरी पर स्थित है।

3. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

4. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से इस स्थल पर पूर्व में कोल स्टोरेज क्षमता 10,000 टन (at a time) हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 14/06/2017 को जारी की गई है। वर्तमान में यह स्थल कोल भण्डारण के रूप में उपयोग किया जाता है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 1627, दिनांक 21/11/2011 द्वारा खसरा नम्बर 103/1, 103/3, 103/9 एवं 108 के रकबा 1.425 हेक्टेयर क्षेत्र पर उद्योग को स्वीकृत खनिज कोयला भंडारण अस्थायी अनुज्ञा 10,000 टन हेतु प्रदान किया गया था। पत्र क्रमांक 886, दिनांक 29/08/2017 द्वारा खनिज कोयला भंडारण अस्थायी अनुज्ञा 10,000 टन से बढ़ाकर 50,000 टन हेतु जारी किया गया है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – वॉशरी प्लांट 1.6 एकड़, स्टोरेज यार्ड 1.94 एकड़, आंतरिक मार्ग 0.84 एकड़, पार्किंग 0.2 एकड़, वाटर रिजर्वायर 0.4 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 2.6 एकड़ (33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल एरिया 7.58 एकड़ (3.07 हेक्टेयर) है। भूमि श्री धरम पाल सिंह कलश, डॉयरेक्टर, मेसर्स के. जे. एस. एल. कोल एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

7. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 2,000 टन/दिन उपयोग किया जायेगा। वाश्ड कोल 1,500 टन/दिन एवं रिजेक्ट्स कोल 500 टन/दिन उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सकड़ मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जावेगा। वॉशरी से वाश्ड कोल एवं रिजेक्ट का परिवहन रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जावेगा।

8. **जल खपत एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी** – लगभग 160 कि.ली./दिन प्रोसेस, 10 कि.ली./दिन डस्ट सप्रेशन हेतु, 05 कि.ली./दिन हॉटिकल्चर हेतु एवं 05 कि.ली./दिन घरेलू उपयोग हेतु जल खपत होगा। इस प्रकार कुल 180 कि.ली./दिन जल का उपभोग होगा। जिसका स्त्रोत भू–जल होगा। भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

9. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित कोल वॉशरी स्थापित किया जावेगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जावेगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के अंदर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल की मात्रा 04 कि.ली./दिन

होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की व्यवस्था की जायेगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

10. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में कोल क्रशर इकाई एवं कोल भंडारण / हेण्डलिंग के दौरान उत्पन्न डस्ट नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। कोल क्रशर इकाई में बेग फिल्टर की स्थापना किया जावेगा। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सभी कन्व्हेयर सिस्टम को ढंका जायेगा।

11. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 500 टन / दिन उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट को मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, चांपा एवं मेसर्स रायपुर पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, दुर्ग को ईंधन के रुप में उपयोग करने हेतु प्रदाय किया जावेगा।

12. **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्टिफिशियल वाटर रिचार्ज के आधार पर भू–जल दोहन की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

13. **ग्रीन बेल्ट व्यवस्था**– कुल क्षेत्रफल में से लगभग 2.5 एकड़ (33 प्रतिशत) में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ 10 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

14. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1.0–1.5 मेगॉवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जावेगी।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में निम्न तथ्य आयेः–
    - कोल वॉशरी वायु प्रदूषणकारी प्रकृति का (रेड केटेगरी) उद्योग है। कच्चे कोल / वॉश्ड कोल / रिजेक्ट के परिवहन, भण्डारण, हथालन एवं कोल वॉशरी के संचालन से काफी मात्रा में डस्ट उत्सर्जन होता है।
    - प्रस्तावित कोल वॉशरी हेतु परिसर के चारों तरफ कम से कम 15 मीटर चौड़ी पट्टी में एवं आबादी क्षेत्र की ओर कम से कम 25 मीटर चौड़ी पट्टी का विकास किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
    - आंतरिक पार्किंग क्षेत्र, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स (रि–चार्ज पॉण्ड एवं पिट्स), सघन वृक्षारोपण आदि हेतु उपलब्ध भूमि पर्याप्त नहीं है। आवेदित क्षमता के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, पर्यावरण सरंक्षण के उपायों

एवं उपरोक्त वर्णित कार्यों हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल कम प्रतीत होता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल वॉशरी परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को कोल वॉशरी स्थापना हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के दृष्टिकोण से डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

5. मेसर्स आरती कॉलोनाईजर कंपनी, ग्राम–डूंडा, तहसील व जिला–रायपुर (665)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/ 72097/ 2018, यह आवेदन दिनांक 06/01/2018 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 389/2, 389/3, 391, 392/2, 392/1, 392/3, 393/2, 393/3, 389/1, 389/4, 389/5, 390, 393/1, 395, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 419/6, 420/1, 420/2, 420/3, 422/1, 422/2, 422/3 एवं 422/4, ग्राम–डूंडा, तहसील व जिला–रायपुर में फेज–1 के तहत् 4.969 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टाउनशिप डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट को मिलाकर फेज–2 के तहत् 3.656 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इस प्रकार परियोजना का कुल क्षेत्रफल 8.625 हेक्टेयर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/01/2018 के द्वारा निम्न जानकारियां / दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया:–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मंगाया जावे।
2. भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किया जावे।
3. ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत किया जावे।
4. दूषित जल के उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग /पुर्नउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जावे।
5. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया जावे।
6. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु का विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

7. ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

8. ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत किया जावे।

9. ग्राउण्ड वॉटर रिर्चाजिंग हेतु रेन वॉटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 246वीं बैठक दिनांक 19/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री राजीव मुंदड़ा, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, छ.ग. के पत्र क्रमांक 442, दिनांक 20/01/2010 द्वारा फेज–1 के तहत् 4.969 हेक्टेयर हेतु विकास अनुज्ञा प्राप्त किया गया।

3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, छ.ग. के पत्र क्रमांक 12378, दिनांक 24/08/2015 द्वारा फेज–2 के तहत् मल्टीस्टोरी बिल्डिंग 3.656 हेक्टेयर हेतु विकास अनुज्ञा प्राप्त किया गया।

4. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर, जोन क्रमांक 06 के पत्र क्रमांक 125, दिनांक 29/05/2017 द्वारा फेज–2 के तहत् 3.656 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग कुल बिल्टअप एरिया 57,180 वर्गमीटर निर्माण हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदाय किया गया।

5. फेज–1 एवं फेज–2 को मिलाकर परियोजना के अंतर्गत कुल 8.625 हेक्टेयर भूमि मेसर्स आरती कॉलोनाईजर के नाम से है। प्रथम चरण के अंतर्गत टाउनशिप डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट के कुल 4.969 हेक्टयर क्षेत्रफल में 106 प्लाट विन्यास एवं विकास कार्य किया जा रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन प्लाट्स में भवन निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। टाउनशिप की यह परियोजना वर्तमान में प्रारंभ है। इस परियोजना में भवन निर्माण कार्य नहीं करने तथा केवल 4.969 हेक्टयर क्षेत्रफल में एरिया डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यकता नहीं है।

6. द्वितीय चरण में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत् कुल 3.656 हेक्टयर क्षेत्रफल में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। कुल बिल्टअप एरिया 20,000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

7. समीपस्थ शहर रायपुर लगभग 8.6 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 8.6 कि.मी. की दूरी पर है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 8.90 कि.मी. की दूरी पर है। खारुन नदी 3.6 कि.मी. की दूरी पर है।

8. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

9. **भूमि उपयोगिता संबंधी विवरण निम्नानुसार है:–**

Particulars	Phase 01 (m^2)	Phase 02 (m^2)	Total Area = Phase 01 + Phase 02	Percentage (%)
Builtup area	22,599.50 (constructed by individual plot owners)	8,987.90	31,587.40	36.62%
Internal Roads	13,039.68	3,135.90	16,175.58	18.75%
Green Area	6,315.25	4298.84	10,614.09	12.31%
Utility Shops	500.00	0.00	500.00	0.58%
Driveway	0.00	18,109.54	18,109.54	21.00%
Open Area	7235.57	2025.40	9260.97	10.73%
Total	**49,690.00**	**36557.70**	**86,247.70**	**100.00%**

10. प्रस्तावित फेज 02 परियोजना के अंतर्गत कुल बिल्टअप एरिया 57,180 वर्गमीटर प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत निम्नानुसार निर्माण कार्य प्रस्तावित है:–

(अ) सामान्य फ्लेट्स

Floor	Block-A	Block-B	Block-C	Block-D	Block-E	Block-F	Block-G	Total
	in sqm							
Ground Floor	Stilt Parking							
1st Floor	1348.40	1042.20	976.30	0.00	0.00	126.90	0.00	3493.80
2nd Floor	1348.40	1042.20	976.30	976.30	976.30	732.80	783.70	6836.00
3rd Floor	1348.40	1042.20	976.30	976.30	976.30	732.80	783.70	6836.00
4th Floor	1348.40	1042.20	976.30	976.30	976.30	732.80	783.70	6836.00
5th Floor	1348.40	1042.20	976.30	976.30	976.30	732.80	783.70	6836.00
6th Floor	1348.40	1042.20	976.30	976.30	976.30	732.80	783.70	6836.00
7th Floor	1348.40	1042.20	976.30	976.30	976.30	732.80	783.70	6836.00
8th Floor	1348.40	1042.20	976.30	976.30	976.30	732.80	783.70	6836.00
Total	**10787.20**	**8337.60**	**7810.40**	**6834.10**	**6834.10**	**5256.50**	**5485.90**	**51345.80**

(ब) एल.आई.जी. फ्लेट्स

Floor	Block-D	Block-E	Block-F	Block-G	Block-1	Block-2	Block-3	Block-4	Total
	in sqm								
Ground Floor	Stilt Parking				123.80	166.40	166.40	166.40	623.00
1st Floor	976.30	976.30	605.90	783.70	123.80	166.40	166.40	166.40	3965.20
2nd Floor	-	-	-	-	123.80	166.40	166.40	166.40	623.00
3rd Floor	-	-	-	-	123.80	166.40	166.40	166.40	623.00
Total	**976.30**	**976.30**	**605.90**	**783.70**	**495.20**	**665.60**	**665.60**	**665.60**	**5834.20**

11. प्रथम एवं द्वितीय चरण के कार्यकलापों की सुविधाओं का उपयोग कुल 3310 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है। परियोजना में प्रस्तावित रहवासी के सुविधाओं हेतु 543 वाहनों के पार्किंग की आवश्यकता होगी, इस आधार पर 569 वाहनों के पार्किंग की सुविधा प्रस्तावित किया गया है।

12. **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिलाकर परियोजना हेतु कुल 566 कि.ली/दिन (घरेलु उपयोग हेतु 286 कि.ली/दिन, फ्लशिंग हेतु 145 कि.ली/दिन, वाशिंग हेतु 60 कि.ली/दिन एवं हार्टिकल्चर हेतु 75 कि.ली/दिन)

जल का उपयोग किया जावेगा। जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है।

13. **जल प्रदूषण नियंत्रण** – दूषित जल की मात्रा 403 कि.ली./ दिन (घरेलू दूषित जल 258 कि.ली./दिन, फ्लशिंग से 145 कि.ली./दिन) होगी। दूषित जल के उपचार हेतु Fludized Aerobic Bioreactor Technology पर आधारित सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता–425 कि.ली. /दिन का निर्माण किया जावेगा। सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत सेटलर, एरोबिक बेफेल्ड रियेक्टर, ट्यूब डिफयूसर, ट्यूब सेटलर, प्रेशर सेण्ड फिल्टर तथा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर स्थापित करना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यो में उपयोग किया जावेगा। उपचारित दूषित जल की मात्रा 363 कि.ली. / दिन होगी। फ्लशिंग हेतु 145 कि.ली/दिन, वाशिंग हेतु 60 कि.ली/दिन, हार्टिकल्चर हेतु 75 कि.ली/दिन उपचारित दूषित जल का उपयोग किया जावेगा एवं शेष 83 कि.ली/दिन उपचारित दूषित जल को ड्रेन में निस्सारित किया जावेगा।

14. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – परियोजना के निर्माण के दौरान फ्युजिटिव डस्ट उत्पन्न होगा। इसके नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है। निर्माण के दौरान सीमेंट / रेत / गिट्टी / मिट्टी आदि का परिवहन ढंककर किया जावेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान निर्माण कार्य नेट से ढंककर किया जावेगा।

15. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल फेज एवं रेसीडेन्शियल कॉम्पलेक्स से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 1608.68 कि.ग्रा/दिन (घरेलू अपशिष्ट 965.40 कि.ग्रा/दिन, रिसायक्लेबल अपशिष्ट 482.46 कि.ग्रा/दिन एवं इनर्ट अपशिष्ट 160.82 कि.ग्रा/दिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन–बायोडिग्रेडेबल के अनुसार संग्रहित किया जावेगा। परियोजना के विकासोपरांत रेसीडेन्शियल कॉम्पलेक्स के ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु 03 बिन पद्धति अपनायी जावेगी एवं डोर–टू–डोर कलेक्शन सिस्टम अपनाया जावेगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाद बनाकर वृक्षारोपण में उपयोग किया जावेगा। रिसायक्लेबल को रिसायक्लर को बेचा जावेगा। नॉन–बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को गवर्नमेंट अथॉराईज्ड एजेंसी को भू–भरण हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।

16. **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जावेगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

17. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत फेज 01 एवं फेज 02 हेतु कुल 10 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 2.5 मीटर एवं गहराई 02 मीटर) निर्मित किया जावेगा।

18. **वृक्षारोपण** – परियोजना हेतु 10,614.09 वर्गमीटर क्षेत्रफल (12.31 प्रतिशत) में हरित पट्टिका का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

19. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – सार्वजनिक स्थानों (लिफ्ट, लॉबी एवं अन्य कॉमन एरिया) पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जायेगा। लेण्ड स्कैपिंग एवं पाथ–वे में सोलर एल.ई.डी लाईटिंग सिस्टम लगाया जाएगा।

20. **विद्युत खपत** – कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हेतु 40 किलोवॉट एवं ऑपरेशन फेज के दौरान 5,600 किलोवॉट विद्युत खपत होना प्रस्तावित है। विद्युत की आपूर्ति सी. एस.पी.डी.सी.एल. से किया जावेगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 01 नग डी.जी. सेट 250 के.व्ही.ए. क्षमता का लगाया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जावेगा तथा सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित ऊंचाई की चिमनी का निर्माण किया जावेगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 389/2, 389/3, 391, 392/2, 392/1, 392/3, 393/2, 393/3, 389/1, 389/4, 389/5, 390, 393/1, 395, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 419/6, 420/1, 420/2, 420/3, 422/1, 422/2, 422/3 एवं 422/4, ग्राम–डूंडा, तहसील व जिला–रायपुर में फेज–1 के तहत् 4.969 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टाउनशिप डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (106 प्लाट विन्यास एवं विकास कार्य) को मिलाकर फेज–2 के तहत् 3.656 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट कुल बिल्टअप एरिया 57,180 वर्गमीटर (प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.625 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 389/2, 389/3, 391, 392/2, 392/1, 392/3, 393/2, 393/3, 389/1, 389/4, 389/5, 390, 393/1, 395, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 419/6, 420/1, 420/2, 420/3, 422/1, 422/2, 422/3 एवं 422/4, ग्राम–डूंडा, तहसील व जिला–रायपुर में फेज–1 के तहत् 4.969 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टाउनशिप डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (106 प्लाट विन्यास एवं विकास कार्य) को मिलाकर फेज–2 के तहत् 3.656 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट कुल बिल्टअप एरिया 57,180 वर्गमीटर (प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.625 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावे।

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

6. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र के संदर्भ में:–

संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 8460, दिनांक 29/12/2017 (प्राप्ति दिनांक 02/01/2018) के द्वारा रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित है कि रेत पुर्नभरण अध्ययन (Sand Replenishment Study) NIH (National Institute of

Hydrology), भोपाल के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 83 रेत खदानों की पर्यावरणीय स्वीकृति समाप्त हो रही है। प्रदेश में रेत की सुगम उपलब्धता बनाए रखने हेतु उक्त रेत खदानों में पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदाय करने हेतु अनुरोध किया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 246वीं बैठक दिनांक 19/01/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा यह तथ्य स्मरण किया गया कि रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन पर पूर्व में विचार करने अर्थात प्रस्तुतीकरण के दौरान ही उपस्थित संबंधित परियोजना प्रस्तावकों (सरपंच / सचिव) एवं उपस्थित संबंधित खनि निरीक्षक / खनि अधिकारी को रेत पुनर्भरण रिपोर्ट की आवश्यकता होने एवं मानसून के पूर्व एवं पश्चात् मौके पर वास्तविक मापन कर आंकड़े सहित रिपोर्ट समयावधि में बनाये जाने बाबत् अवगत कराया गया था। प्रस्तुतीकरण के समय उपस्थित परियोजना प्रस्तावकों (सरपंच / सचिव) एवं खनि निरीक्षक / खनि अधिकारी द्वारा समयावधि में वांछित रेत पुनर्भरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत् सहमति भी व्यक्त की गई थी। साथ ही रेत उत्खनन हेतु जारी किये गये सभी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 01 में इस बाबत् निम्न शर्त भी अधिरोपित की गई है:–

"यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।"

इससे स्पष्ट है कि संबंधित परियोजना प्रस्तावकों एवं खनि निरीक्षक / खनि अधिकारी को दो वर्ष पूर्व स्पष्ट रुप से वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश करने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट बनाने एवं प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में पर्याप्त समय दिया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं आसपास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी एवं रेत उत्खनन के फलस्वरूप उत्खनित क्षेत्र में रेत का पुर्नभरण सुनिश्चित होने की पुष्टि के लिये रेत पुर्नभरण / गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट आवश्यक है। इस बाबत् पूर्व में पर्याप्त समय दिये जाने के दृष्टिगत इस हेतु और समय दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पर्यावरणीय स्वीकृति जारी जिन परियोजना प्रस्तावकों द्वारा रेत पुर्नभरण / गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जावेगा, उन्हे रिपोर्ट एवं संबंधित प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति के वैधता वृद्धि बाबत् विचार किया जा सकेगा।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 78वीं बैठक दिनांक 22/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित करने का निर्णय लिया गया।

संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(संजय शुक्ला)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. डी.एस. बल)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. एम.एल. नाईक)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़